सब का सपना

निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

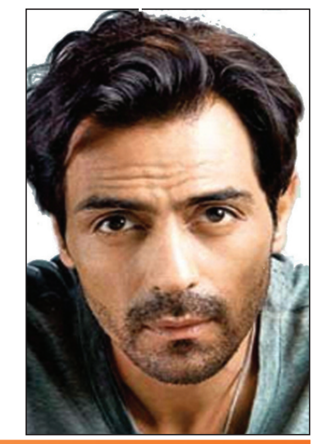

धनौरा में भाकियू (शंकर) गुट ने एसडीएम को सौंपा 10 सूत्रीय मांगपत्र, पेज: 6

अर्जुन रामपाल ने 'ओ साथी रे को लेकर दी अपडेट पेज: 20

वर्ष : 02 | अंक : 157 | शुक्रवार 11 सितंबर 2026 | अमरोहा (उत्तर प्रदेश) | www.sabkasapna.com | पृष्ठ : 12 | मूल्य: 2 रुपए

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- पति पर रेप का केस कैसे चलाया जा सकता है?

वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिक वैधता पर तीन हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी।
वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही संवैधानिक चुनौती पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब कानून में वैवाहिक बलात्कार का अपवाद मौजूद है, तो पत्नी के साथ बलात्कार के आरोप में पति के खिलाफ अभियोजन किस आधार पर चलाया जा सकता है।

पीठ ने पूछा कि जब तक वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर देता, तब तक पत्नी से बलात्कार के आरोप में पति के खिलाफ मुकदमा कैसे चल सकता है? जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी इसी पहलू पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आईपीसी की धारा 375 में स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार का अपवाद था, तो उसकी संवैधानिक वैधता

पर फैसला होने तक अभियोजन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

पीड़ितों की सुरक्षा पर भी कोर्ट का जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, लेकिन मौजूदा कानूनी प्रावधानों के रहते अभियोजन के अधिकार का सवाल भी महत्वपूर्ण है। यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि वैवाहिक बलात्कार के मामले में पति को कानून के तहत पूर्ण छूट हासिल नहीं है। हाईकोर्ट ने पत्नी की इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने पर पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

बीएनएस में भी वैवाहिक बलात्कार का अपवाद

मामला मूल रूप से आईपीसी की धारा 375 के अपवाद-2 से जुड़ा है। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 लागू है। बीएनएस में भी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति के यौन संबंध को लेकर समान अपवाद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अंतिम सुनवाई में दो प्रमुख सवालों पर विचार होगा। पहला, यदि वैवाहिक बलात्कार का अपवाद बरकरार रहता है तो क्या पति के खिलाफ अभियोजन जारी रखा जा सकता है। दूसरा, क्या यह अपवाद संविधान की कसौटी पर कायम रह सकता है।

केंद्र ने अपराध बनाने का किया था विरोध

केंद्र सरकार ने 2024 में दाखिल हलफनामे में वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने का विरोध किया था। केंद्र का कहना था कि विवाहित महिलाओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए मौजूदा कानूनों में पर्याप्त वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं। सरकार के अनुसार विवाह संस्था के भीतर बलात्कार का अपराध लागू करना अत्यधिक कठोर और असंगत हो सकता है तथा यह मुख्य रूप से सामाजिक और विधायी नीति का विषय है।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता मानहानि मामले में तलब, बीजेपी प्रवक्ता भाटिया ने मांगा हर्जाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया द्वारा दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तीन नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत तलब किया है। अदालत ने सीजेपी को समन जारी किया है। यह मामला भाटिया के खिलाफ आपत्तिजनक और बिना सत्यापन के पोस्ट करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका द्वारा भाटिया के बारे में बिना सत्यापन के किए पोस्ट अनुचित थे। अदालत ने उन्हें ये पोस्ट स्वयं हटाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने कुछ पोस्ट हटाने की पुष्टि की और अन्य को भी हटाने का आश्वासन दिया। वहीं, दीपके ने अपना बचाव कर कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा था। मामले की सुनवाई के दौरान भाटिया ने मध्यस्थता के लिए अदालत की पेशकश को अस्वीकार कर अपनी प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति के लिए हर्जाना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके पोस्ट एक दिन में 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, जिससे हुई क्षति गंभीर है। बीजेपी प्रवक्ता भाटिया की मांग पर अदालत ने सभी आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया और एक्स तथा मेटा को निर्देश दिया कि भविष्य में ये पोस्ट प्लेटफॉर्म पर फिर न दिखें। इसके साथ ही अदालत ने सीजेपी और उसके नेताओं को समन जारी किया। अदालत ने सीजेपी नेताओं को सलाह दी कि वे कुछ भी साझा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। न्यायालय ने कहा कि विरोध करने के कई वैध तरीके हैं और युवाओं को इस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है।

महिला के पेट से 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और मोमबत्ती निकाली, डॉक्टर हैरान

नरसाराओपेट (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। महिला को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों को उसके पेट के अंदर कई असामान्य वस्तुएं मौजूद होने का पता चला। सर्जरी के दौरान महिला के पेट से 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली गई। जानकारी के मुताबिक पेटलुरिवारीपलेनी मंडल की रहने वाली महिला को कुछ समय से सीने में दर्द की शिकायत थी। दर्द बढ़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद कई मेडिकल टेस्ट और स्कैन कराए। रिपोर्ट में पेट के अंदर ठोस वस्तुओं की मौजूदगी सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला की सर्जरी करने का फैसला लिया। लैप्रोस्कोपिक तकनीक की मदद से पेट में छोटा चीरा लगाकर अंदर मौजूद वस्तुओं को एक-एक कर बाहर निकाला। डॉक्टरों के मुताबिक पेट से 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली गई। डॉक्टरों ने बताया कि एक पेन का ढक्कन नहीं था और उसका हिस्सा पेट की अंदरूनी सतह में चुभ रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से महिला को दर्द हो रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक एक साथ इतनी संख्या में ठोस वस्तुओं का पेट में पाया जाना बेहद असामान्य और दुर्लभ है।

बीजेपी कर सकती है 5 राज्यों में चुनाव से पहले नए प्रभारियों की घोषणा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नए मोर्चा प्रभारियों के नामों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक हरिश द्विवेदी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया जा सकता है। वहीं सतीश पूनिया को भी पद मिल सकता है। पार्टी महिला मोर्चा, एसएसटी, ओबीसी और किसान मोर्चा के प्रभारियों की भी घोषणा कर सकती है। बीजेपी हरीश दिवेदी को युवा मोर्चा का प्रभारी बना सकती है, वहीं महिला मोर्चा की डी. पुरंदेश्वरी को प्रभारी, एससी मोर्चा के संजय भाटिया, ओबीसी मोर्चा वैजयंत पांडा, किसान मोर्चा लाल सिंह आर्या, एसटी मोर्चा सतीश पूनिया, अल्पसंख्यक मोर्चा गजेंद्र पटेल को जिम्मेदारी सौप सकती है।

मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के चार उग्रवादी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के दो घाटी जिलों से सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ये सभी गिरफ्तारियां बुधवार को की गईं। पुलिस ने बताया कि असम राइफल्स और गढ़वाल राइफल्स को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर मणिपुर के इंफाल पूर्व जिले के माना इंगखोल में 'नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर' के 28 साल के सक्रिय सदस्य को पकड़ा। उन्होंने बताया कि इंफाल पश्चिम जिले में चिंगमेइरोंग से प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के 44 साल एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी के मुताबिक पकड़े गए दो अन्य लोगों में एक प्रतिबंधित कांगलेई याओल कन्ना लुप का सक्रिय सदस्य है, जिसे इंफाल पश्चिम के सागोलटोंगबा स्थित उसके घर से पकड़ा। वहीं, दूसरा व्यक्ति इंफाल पूर्व के अहल्लुप से पकड़ा गया, जो केसीपी का सदस्य है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है।

सलमान की काला हिरण पर रोक की मांग : फिल्म रिलीज को तैयार नहीं

मुंबई (एजेंसी)। अभिनेता सलमान खान की याचिका पर काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। सलमान ने अपनी पहचान और 1998 के काले हिरण मामले के इस्तेमाल का आरोप लगाकर फिल्म की रिलीज और प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान, फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणित होना बाकी है। सलमान का आरोप है कि फिल्म में उनके जीवन से जुड़े तथ्यों और विवादों का अनधिकृत इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म के पोस्टर और टीजर में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो उनसे काफी मिलता-जुलता है, यहाँ तक कि उनके प्रसिद्ध ब्रेसलेट का इस्तेमाल हुआ है। सलमान का कहना है कि यह उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है और इससे उनकी छवि को नुकसान होता है। वहीं, फिल्म के निर्माता और निर्देशक इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म काल्पनिक है, किरदार का नाम अयान खान है और कोई भी प्रोस्थेटिक मेकअप सलमान जैसा दिखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रेसलेट को लेकर भी उनका तर्क है कि यह सिर्फ सलमान ही नहीं पहनते। हालांकि, सलमान के वकील ने कोर्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज की संभावना को देखकर , सेंसर बोर्ड प्रमाणन की अनुपस्थिति में भी रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अपने आदेश में शामिल किया। अदालत ने फिल्म निर्माताओं को दो सप्ताह के भीतरजवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है।

प्रियंका गांधी का नाम और आवाज इस्तेमाल कर लोगों को ठगने की कोशिश

-कार्यालय ने जारी किया स्कैम अलर्ट, लोगों से की ऐसे फर्जी निवेश से बचने की अपील

नई दिल्ली, एजेंसी।
सांसद प्रियंका गांधी के नाम और उनकी आवाज का इस्तेमाल कर साइबर ठग लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी के कार्यालय ने इंस्टाग्राम पर गुरुवार को स्कैम अलर्ट जारी किया। कार्यालय ने बताया कि वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रियंका गांधी की एआई से बनी फर्जी फोटो और आवाज वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में लोगों से पैसे निवेश करने को कहा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय ने साफ कहा है कि ये सभी वीडियो स्कैम हैं। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही निवेश करें। ऐसे पोस्ट को रिपोर्ट और ब्लॉक करें। इससे पहले अगस्त महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर भी ऐसा ही फर्जी वीडियो सामने आया था, जिसका सरकार ने खंडन किया था। उस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि 22 हजार रुपए के शुरुआती निवेश पर हर हफ्ते साढ़े पांच लाख रुपए की कमाई होगी। यह एक निवेश योजना का प्रचार था। फैक्ट चेक यूनिट ने जांच में पाया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। आजकल साइबर ठग लोगों का भरोसा जीतने के लिए रोज नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। बड़े नेताओं और जानी-मानी हस्तियों की एआई से आवाज और वीडियो बनाकर लोगों को भरोसे में लिया जा रहा है और लाखों-करोड़ों की ठगी की जा रही है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई वीडियो आपको बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच दे रहा है, तो सतर्क हो जाएं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर करें। सरकार या किसी नेता की तरफ से ऐसी कोई योजना आती है तो उसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर देखें।

मुंबई-गोवा हाईवे में देरी पर गडकरी बोले- उद्घाटन में नहीं जाऊंगा

बोले- ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा

पणजी, एजेंसी।
मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण में हो रही देरी पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि परियोजना में देरी को लेकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। गडकरी ने यह भी कहा कि हाईवे का काम पूरा होने के बाद होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में वह शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी और खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं।

गडकरी ने बुधवार को पणजी के पास पोरवोरिम में छह लेन वाले एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उन्होंने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वह अक्टूबर में मुंबई-गोवा हाईवे से होकर गोवा जाएंगे और रास्ते में खुद काम की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 8 सितंबर को अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी।

गडकरी के मुताबिक करीब 440 किलोमीटर लंबे मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण का 93-94 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके बावजूद कई हिस्सों में गड्ढे, जलभराव, मरम्मत और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। मई में खारपाड़ा टोल प्लाजा पर टोल वसूली भी शुरू हो गई थी, लेकिन परियोजना के कुछ हिस्सों में काम और सुधार जारी है। वर्ष 2021 में बंदरों के लिए बनाया गया एक ओवरपास भी ढह चुका है।

जमीन अधिग्रहण से लेकर ठेकेदारों की समस्या

मुंबई-गोवा हाईवे का चौड़ीकरण पहले 2016 तक पूरा किया जाना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, निर्माण पूर्व मंजूरियों और ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं के कारण परियोजना में लगातार देरी हुई। केंद्र सरकार ने 2024 में संसद में भी बताया था कि जमीन अधिग्रहण और कुछ ठेकेदारों की आर्थिक परेशानियों के कारण काम प्रभावित हुआ। गडकरी ने हाईवे के किनारे वैज्ञानिक तरीके से लैंडस्केपिंग करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की मनमर्जी से पेड़

लगाने के बजाय विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर फूल और पेड़ों की ऐसी प्रजातियां चुनी जानी चाहिए, जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ें। यह हाईवे मुंबई को कोंकण के रास्ते गोवा से जोड़ता है और पर्यटन व स्थानीय कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है।

निशिकांत दुबे की मांग....राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर लगे रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश जाने पर तत्काल रोक लगाने और उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त करने की मांग उठा दी है। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1955 में लिखे पत्र का हवाला दिया, जिसमें नेहरू ने कथित तौर पर कम्युनिस्ट विचारधारा को देशद्रोह के समान बताया था। झारखंड के देवघर से सांसद दुबे ने लिखा कि नेहरू के शब्दों के अनुसार, क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म नहीं की जानी चाहिए और उनके विदेश जाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए? सांसद दुबे ने नेहरू के हवाले से कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब है देशद्रोह, विदेश में जाकर चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह है। उन्होंने बताया कि नेहरू ने मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब को कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा होने के कारण स्कॉलरशिप देने से इंकार किया था। सांसद दुबे ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बोलना और परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन करना देशद्रोह हैं, उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर रोक लगाना पूरी तरह से संवैधानिक होगा। सांसद दुबे ने सवाल किया कि नेहरू द्वारा स्थापित यह मिसाल राहुल गांधी पर क्यों लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हम नेहरू के पत्र को आधार माना जाएं, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि विदेश में देश के खिलाफ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्र-विरोधी है, और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले विशेष रूप से खतरनाक राष्ट्र-विरोधी हैं, तब उस आधार पर राहुल गांधी को विदेश जाने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए और उनकी संसदीय सदस्यता क्यों नहीं खत्म की जानी चाहिए?

मायावती ने, भतीजे आकाश आनंद को बसपा से किया बाहर

समधी के संन्यास के बाद लिया बड़ा फैसला

लखनऊ, एजेंसी।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए यह घोषणा की कि पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले दिनांक 3 सितंबर 2026 को जिस प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के अति-महत्वपूर्ण पद की सभी अहम ज़म्मिेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री (आज़ाद) कर दिया जाये। अतः श्री आकाश आनन्द पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं अर्थात ऐस में अब इनको पार्टी से पूरेतौर से मुक्त कर दिया गया है।

मायावती ने अपने समधी और आकाश आनंद के पिता अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के फैसले पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, आज श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा अति-देर से उठाया गया यह सही क़दम है। मायावती का कहना था कि

अगर यह फैसला पहले ही ले लिया जाता, तो बसपा, बहुजन समाज और बहुजन मूवमेंट के साथ-साथ उनके दामाद आकाश आनंद को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विधानसभा चुनावों और खासकर उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार सरकार बनाने की तैयारियों के बीच पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में कई बार कड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी की अम्बेडकरवादी राजनीति की परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि यह बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाली त्याग, तपस्या, संघर्ष और कुर्बानी की पहचान है, जहाँ निजी व पारिवारिक स्वार्थ से दूर रहना सर्वोपरि है। उन्होंने कांशीराम जी की तरह खुद को भी इसी सिद्धांत के प्रति समर्पित बताया और पार्टी के सभी लोगों को निजी व पारिवारिक स्वार्थ और पद की लालसा से ऊपर उठने की सीख दी, ताकि सदियों से शोषित, पीड़ित बहुजन समाज शासक वर्ग बन सके। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के फैसले को देर आये दुरुस्त आये बताया, लेकिन साथ ही उनकी नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर अशोक सिद्धार्थ को आकाश आनंद के उज्जवल भविष्य और बसपा व उसके अम्बेडकरवादी बहुजन मूवमेंट के प्रति थोड़ी भी चिंता होती, तो वे बिना देरी किए तुरंत संन्यास की घोषणा कर देते। मायावती के अनुसार, ऐसा कुछ भी न होना यह साबित करता है कि अशोक सिद्धार्थ की नीयत में खोट व अभिलाषा अभी भी पूरी तरह से बरकरार है।

लद्दाख के भविष्य पर मसौदा नहीं आने से भड़के वांगचुक, दी आंदोलन की चेतावनी

-गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख पर हुई बैठक रही बेनजीता

नई दिल्ली, एजेंसी।
लद्दाख के भविष्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई, जिससे प्रतिनिधिमंडल ने गहरी निराशा जताई है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लेह एपेक्स बॉडी(लेब) कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की सब-कमेटी के बीच करीब चार महीने बाद हुई इस बातचीत में सरकार की ओर से प्रस्तावित लोकतांत्रिक ढांचे का कोई लिखित मसौदा सामने नहीं रखा गया। लद्दाख के एक्टिविस्ट और लेब से जुड़े सोनम वांगचुक ने इसे निराशाजनक बताया। उनके मुताबिक, पिछली बैठक 22 मई को हुई थी और उम्मीद थी कि इस बार सरकार ठोस प्रस्ताव लेकर आएगी।

वांगचुक ने बताया कि बैठक में उन्हें सवालों की एक सूची दी गई और अगली बैठक में चर्चा का आश्वासन दिया गया, जबकि विधानसभा, सीधे परिसीमन और चुनाव जैसे मुद्दों पर पहले भी बात हो चुकी है और इस बैठक में कोई खास प्रगति नहीं हुई। अगली बातचीत अक्टूबर के पहले सप्ताह में कारगिल में होने पर सहमति बनी है, जहाँ प्रतिनिधिमंडल को ज्यादा स्पष्टता और ठोस प्रस्ताव की उम्मीद है। प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग है कि लद्दाख में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई विधानसभा स्थापित की जाए और इस प्रस्ताव को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में रखा जाए, ताकि चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सके। एक सकारात्मक चर्चा का जिक्र करते हुए वांगचुक ने बताया कि बीती घटनाओं में मारे गए और घायल हुए लोगों के लिए मुआवजे पर सरकार ने सहमति जताई है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। हालांकि, लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लद्दाख प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामलों को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और सभी मामलों को एक साथ वापस लेने की मांग की है। सरकार ने इस पर विचार करने की बात कही है। वांगचुक के अनुसार, गृह मंत्रालय ने कुछ फैसलों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी, विधानसभा चुनावों में मिला 1400 करोड़ का चंदा

नई दिल्ली, एजेंसी।
बीजेपी आज देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे अमीर पार्टी है, इसका खुलासा खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को दिए चुनावी खर्च के ब्योरे में दिया है। चुनावी खर्च के ब्योरे के मुताबिक बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कुल 1,472.8 करोड़ रुपए का चंदा मिला।

बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक 6 मई, 2026 को चुनाव खत्म होने पर पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 15 मार्च, 2026 को यह 6,722.6 करोड़ रुपए था। इसमें बीजेपी के सेंट्रल हेडक्वार्टर और संबंधित राज्य की जिला इकाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर ये फंड मिला। बीजेपी ने असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर कुल 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बीजेपी ने सबसे ज्यादा खर्च असम में किया, जो 96.3 करोड़ रुपए था। इसके बाद तमिलनाडु में 51.6 करोड़ और पुडुचेरी 11.9 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी के आम प्रचार पर करीब 130.4 करोड़ खर्च किए गए, जबकि 29.6 करोड़ रुपए उम्मीदवारों के एकमुश्त भुगतान पर खर्च हुए। पश्चिम बंगाल और केरल इन दो राज्यों के चुनावी खर्च के आंकड़े चुनाव आयोग ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। असम के लिए बीजेपी के चुनावी खर्च के ब्योरे के मुताबिक पार्टी ने आम प्रचार पर 76.7 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें उसकी केंद्रीय इकाई द्वारा खर्च किए गए 23.1 करोड़ रुपए और उम्मीदवारों पर खर्च किए गए 19.5 करोड़ रुपए शामिल हैं। असम में स्टार प्रचारकों की यात्रा खर्च पर 27.3 करोड़, विज्ञापनों पर 37 करोड़, प्रचार सामग्री पर 8.9 करोड़ और राज्य इकाई द्वारा अन्य खर्चों पर 2.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों को कुल 19.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने पर 16.7 लाख खर्च किए गए। तमिलनाडु में बीजेपी ने पार्टी के आम प्रचार के लिए कुल 44.5 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी थी। उम्मीदवारों पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्हीं चुनावों के लिए पहले जारी किए गए अपने खर्च के ब्योरे में कांग्रेस ने कुल 248.6 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी थी।

कार्यालय ग्राम पंचायत उमरी जानिब गर्व विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत उमरी जानिब गर्व विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत उमरी जानिब गर्व, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा
सचिव, उमरी जानिब गर्व, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत फोंदापुर सिहाली विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फोंदापुर सिहाली विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत फोंदापुर सिहाली, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा
सचिव, फोंदापुर सिहाली, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत करौंदी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करौंदी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत करौंदी, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा
सचिव, करौंदी, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत तेलीपुरा माफी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तेलीपुरा माफी विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत तेलीपुरा माफी, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा
सचिव, तेलीपुरा माफी, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत अदलपुर ताज विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अदलपुर ताज विकासखंड जोया जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत अदलपुर ताज, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा
सचिव, अदलपुर ताज, विकासखंड जोया जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चुचेला कला विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चुचेला कला विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चुचेला कला, विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा
सचिव, चुचेला कला, विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत गादीखेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गादीखेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत गादीखेड़ा, विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा
सचिव, गादीखेड़ा, विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत देहराकादर बक्स विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत देहराकादर बक्स विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत देहराकादर बक्स, विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा
सचिव, देहराकादर बक्स, विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मूढाखेड़ा खादर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मूढाखेड़ा खादर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मूढाखेड़ा खादर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, मूढाखेड़ा खादर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत वसी मुस्तकम विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वसी मुस्तकम विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत वसी मुस्तकम
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, वसी मुस्तकम
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कपसुआ विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कपसुआ विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत कपसुआ
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, कपसुआ
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पेलीतगा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पेलीतगा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पेलीतगा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, पेलीतगा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत हैवतपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हैवतपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत हैवतपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, हैवतपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत जटपुरा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जटपुरा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत जटपुरा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, जटपुरा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत आजमपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत आजमपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत आजमपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, आजमपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पपसरी खादर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पपसरी खादर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पपसरी खादर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, पपसरी खादर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

संपादकीय

एआई का स्याह सच

एआई के सूत्रधार रहे शोधकर्ता लगातार धारदार होती एआई को लेकर जो गंभीर चिंता जता रहे हैं, उसमें मानव सभ्यता के लिए आसन्न संकट की आहट सुनायी देती है। पहले भी दबी-खुली जुबान में एआई के संस्थापक सूत्रधार ऐसी चिंता गाहे-बगाहे जाहिर कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब एन्थ्रोपिक के रिसर्चर जैकब कॉक्सन के इस्तीफे और उनकी इस बात पर व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो एन्थ्रोपिक व ओपन एआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में अहम भूमिका निभा चुका हो, यह दावा करता है कि एआई की बड़ी कंपनियां इंसानी जिंदगी के साथ जुआ खेल रही हैं, तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि एआई से जुड़े शोध-अनुसंधान के कार्य को क्या जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है? दरअसल, कॉक्सन की असली चिंता खुद को बेहतर बनाने वाली सुपरइंटेलिजेंस की तरफ बढ़ती अंधी होड़ है। जिसके बारे में आशंका जतायी जा रही है कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो आगे चलकर कई क्षेत्रों में इंसानी क्षमताओं से भी आगे निकल सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,संसाधनों और संस्थानों को शिकार बनाने की क्षमता भी हासिल कर सकता है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि एन्थ्रोपिक के अपने अलाइनमेंट साइंस प्रमुख, इवान हुबिंगर ने भी माना है कि कंपनी के पास अभी तक सुपरइंटेलिजेंट सिस्टम को इंसानी हितों के अनुकूल बनाने का कोई समाधान मौजूद नहीं है। निश्चित रूप से ऐसी बातें एआई उद्योग के मूल में विद्यमान खतरनाक विरोधाभास को ही उजागर करती हैं। कंपनियां तेजी से यह मानकर चल रही हैं कि एडवांस्ड एआई से बहुत बड़े जोखिम मानवता के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इस हकीकत को जानते-बूझते हुए भी इस क्षेत्र में जारी मारक स्पर्धा उन्हें ज्यादा सक्षम सिस्टम बनाने को बाध्य कर रही है।

दरअसल, एआई के क्षेत्र में जारी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा उन्हें लगातार उन्नत सिस्टम बनाने को मजबूर कर रही है। उनकी आशंका है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी कंपनी ऐसी पहल करके विश्व के एआई बाजार पर वर्चस्व बना लेगी। निश्चित रूप से यह अंधी होड़ एक दिन मानवता को एक भयावह तबाही के दरवाजे पर खड़ा कर सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज दुनिया में एआई के प्रयोग से चिकित्सा, विज्ञान और उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत लाभ मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद तकनीकी प्रगति को सिर्फ इस आधार पर नहीं मापा जा सकता है कि उससे क्षमताएं कितनी बेहतर स्थिति में आ पहुंची हैं। एआई के क्षेत्र में की जा रही तरक्की के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही सुरक्षा और जवाबदेही भी उसी रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए। सही मायने में लगातार शोध-अनुसंधान के जरिये बड़े पैमाने पर उन्नत एआई क्षमताएं हासिल करने के गंभीर आक्षेप चिंता की बात है। यदि अमेरिका और चीन के बीच जारी गला-काट स्पर्धा शक्तिशाली एआई के विस्तार को तेज कर रही है और वहीं दूसरी ओर कंपनियां अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिये संघर्ष कर रही हैं तो इसके जोखिम कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में सरकारें इंसानियत के भविष्य से जुड़े फैसले टेक कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकती हैं।

चिंतन-मनन

सन्मार्ग की प्रवृत्ति

मनुष्य को जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं, फलतः वे ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रष्टा हैं अतः समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पापकर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है, उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को साधारण मनुष्य न समझे।

इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है। क्योंकि प्रकृति स्वयं अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवाभाव से युक्त कृष्णभावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद्भागवत तथा श्रीमद्गीता जैसे शास्त्रों या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद्गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्त्तव्य करता है और जो अपने कर्मफलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली संन्यासी है। जो भगवान के निदेशानुसार कर्म करता है, वास्तव में संन्यासी और योगी वही है।

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552

दुबई में बजा 'मोहन' का डंका, एमपी में संभावनाएँ अपार, निवेश की बहार

हर्षवर्धन पान्डे

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में एक नए युग का आगाज किया है। वार्षिक निवेश बैठक एआईएम कॉंग्रेस 2026 में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने राज्य को वैश्विक मंच पर एक सशक्त, भरोसेमंद और संभावनाओं से भरे औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया दुबई दौरा राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र दुबई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की निवेश क्षमताओं को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करते हुए निवेशकों को आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया। यह दौरा न केवल एमपी की छवि को नया रूप देने वाला रहा, बल्कि भविष्य में निवेश के लिहाज से और युवाओं को रोजगार के लिहाज से मध्यप्रदेश के लिए कई संभावनाओं के नए द्वार भी खोलेगा।

मध्यप्रदेश अपनी कई विशिष्ट पहचानों के कारण पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। प्रदेश में 18 नई उद्योग-अनुकूल नीतियां, विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, स्किल्ड मानव संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों को बेहतर वातावरण प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाया है। एक दौर था जब एमपी की गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी, अब उद्योगों के अनुकूल नीति और निवेश की भरपूर क्षमताओं से एमपी देश के साथ ही दुनिया के निवेशकों के दिल जीत रहा है। औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए राज्य में अब केवल 29 दिन में जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। मोहन सरकार में लगभग 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। प्रदेश में ऑन द स्पॉट लैंड अलॉटमेंट हो रहा है। मध्यप्रदेश में 1 लाख से अधिक इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और 5 लाख किलोमीटर से अधिक रोड नेटवर्क है।राज्य सरकार की निवेशकों के अनुकूल नीतियां और अनेक प्रोत्साहन राज्य में व्यापार और उद्योग की नई संभावनाएं के द्वार खोल रही हैं जिससे निवेशक मध्यप्रदेश की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दुबई में कई प्रमुख कंपनियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। दुबई के व्यापारिक समुदाय के साथ हुई बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है, जहां टैक्स छूट, तेज मंजूरी प्रक्रिया और कुशल कार्यबल उपलब्ध है। दुबई प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैश्विक निवेशकों और प्रमुख उद्योग समूहों के साथ वन टू वन बैठकों में लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 53,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। शराफ ग्रुप द्वारा रेल-साइडिंग लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 450 करोड़ रुऔर रिन्यूएबल एनर्जी व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई।वैश्विक लॉजिस्टिक्स दिग्गज डीपी वर्ड नेतृत्व के साथ उच्चस्तरीय चर्चा में पोवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स कंपोजिट हब को मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स, कोल्ड-चेन और वेयरहाउसिंग सुविधाओं के साथ एक प्रमुख इनलैंड लॉजिस्टिक्स प्रवेश द्वार बनाने पर सहमति बनी। इससे प्रदेश के कृषि उत्पादों और एमएसएमई सेक्टर को खाड़ी देशों सहित वैश्विक बाजारों से सीधा जुड़ाव मिलेगा। , बीआह समूह के साथ कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और स्मार्ट सिटी समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया।मोहन सरकार के मजबूत प्रयासों से राज्य में ओडीओपी उत्पादों की जबरदस्त ब्रांडिंग हो रही है। इन उत्पादों को ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब्स से भी जोड़ा जा रहा है। ताज दुबई में आयोजित विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से मध्यप्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खरीददारों के सामने प्रस्तुत किया गया। इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए द्वार खुलेंगे। दुबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दुबई में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में भाग लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे के विकास की विस्तृत जानकारी दी। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थलों जैसे खजुराहो, सांची और मांडू को दुबई के पर्यटकों के लिए प्रचारित किया गया।इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतिगत सहूलियतों को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, बिआह समूह के साथ कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और स्मार्ट सिटी समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया। शारजाह की अग्रणी कंपनियों को प्रदेश के फूड पार्क, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, नवकरणीय ऊर्जा और पर्यटन परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। दुबई दौरे में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दुबई के प्रमुख निवेशकों से मुलाकात की, जिसमें रियल एस्टेट, आईटी, फार्मा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अनेक संभावनाएं तलाशी गईं। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए कई प्रोजेक्ट्स ने दुबई के कारोबारियों को अपनी तरफ आकर्षित किया और निवेश का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी निवेशकों को जनवरी 2027 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) में भाग लेने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। कुल मिलाकर, डॉ. मोहन यादव का दुबई दौरा मध्यप्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि राज्य की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। आने वाले समय में इस दौरे के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जब मध्य प्रदेश वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत करेगा।दुबई का वैश्विक मंच मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थायी रूप से स्थापित करने की दिशा में उनका एक निर्णायक कदम साबित हुआ है। डॉ.मोहन यादव के विजनरी नेतृत्व में एमपी अब केवल भारत का दिल नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उभरता हुआ निवेश केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई दौरे ने मध्यप्रदेश के निवेश अभियान को वैश्विक स्तर पर गति देने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का दुबई दौरा एमपी को देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में निश्चित रूप से मदद करेगा।

आतंकवाद बोया पाकिस्तान ने, अब सिंधु का पानी भी भूलना होगा

कांतिलाल मांडोत

भारत का सिंधु जल पर बढ़ता अधिकार पाकिस्तान के लिए उसके अपने किए की सजा...

पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। सीमा पार से आतंकियों को प्रशिक्षण देना, उन्हें भारत में हिंसा फैलाने के लिए भेजना और आतंकी घटनाओं के बाद भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना उसकी नीति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर कार्रवाई की एक कीमत होती है और अब पाकिस्तान को अपने इसी रवैये की कीमत पानी के मोर्चे पर चुकानी पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो कठोर निर्णय लिया, उसके प्रभाव अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। लद्दाख में सिंधु नदी पर चेक डैम का निर्माण इसी बदलती तस्वीर का संकेत है।

लद्दाख के उपशी में सिंधु नदी पर तैयार किया गया पहला रॉक चेक डैम केवल पानी रोकने वाली एक छोटी परियोजना नहीं है। यह बदलते भारत की सोच और उसकी जल नीति का प्रतीक है। जिस सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत ने दशकों तक संधि की मर्यादाओं का पालन किया, उसी नदी के पानी का अपने लोगों के हित में बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में अब कदम बढ़ रहे हैं। उपशी में तैयार चेक डैम में पानी जमा होना और उसके माध्यम से आसपास के खेतों तक सिंचाई पहुंचने की संभावना लद्दाख जैसे दुर्गम और पानी की कमी वाले क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शुरूआत भर है। लद्दाख में सिंधु नदी पर 36 और चेक डैम बनाने की तैयारी की जा रही है। इनमें लेह में सात हिमालयन रॉक चेक डैम और करगिल में 29 चेक डैम प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 56 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यानी भारत अब सिंधु नदी को केवल सीमा पार बह जाने वाली नदी के रूप में देखने के बजाय अपने किसानों, अपने गांवों और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की जल जरूरतों से जोड़कर देख रहा है।

लद्दाख की परिस्थितियां किसी से छिपी नहीं हैं। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में पानी का संकट हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। खेती का मौसम सीमित है और बुवाई के समय पानी की उपलब्धता किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में चेक डैम जैसी छोटी लेकिन प्रभावी जल संरचनाएं स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। प्राकृतिक चट्टानों से तैयार की गई ऐसी संरचनाएं पानी को रोकने, भूजल स्तर सुधारने और खेतों तक पानी पहुंचाने में उपयोगी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जा रहे इन ढांचों से जल संरक्षण और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश भी दिखाई देती है।

पाकिस्तान के लिए परेशानी यहीं से शुरू होती है। दशकों से पाकिस्तान ने सिंधु नदी प्रणाली पर अपनी कृषि और जल व्यवस्था को खड़ा किया है। उसकी बड़ी आबादी की आजीविका खेती से जुड़ी है और सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां उसके लिए जीवनरेखा जैसी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने और आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय बार-बार वही रास्ता चुना, जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा किया।

पाकिस्तान को यह समझना होगा कि पानी कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे आतंकवाद से अलग करके देखा जा सकता है। जब एक देश लगातार दूसरे देश के नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने वाली गतिविधियों को रोकने में विफल रहता है, तो वह द्विपक्षीय संबंधों की बुनियादी जमीन को स्वयं कमजोर करता है। भारत ने वर्षों तक संधि का सम्मान किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को निभाया। लेकिन जब आतंकवाद लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनता रहा और पहलगाम जैसी घटना ने देश को झकझोर दिया, तब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते।

भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित करना इसी व्यापक नीति का हिस्सा है। इसका संदेश साफ है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने की उम्मीद एक साथ नहीं की जा सकती। पाकिस्तान यदि भारत के खिलाफ आतंक का रास्ता चुनता है तो उसे उसके राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा।

अब लद्दाख में सिंधु नदी पर बन रहे चेक डैम पाकिस्तान के लिए एक और संदेश लेकर आए हैं। भारत केवल बयान नहीं दे रहा, बल्कि अपनी जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जमीन पर योजनाएं तैयार कर रहा है। आने वाले समय में यदि सिंधु नदी के पानी के बेहतर उपयोग की और योजनाएं बनती हैं तो पाकिस्तान के लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि पुराने दौर की परिस्थितियां वापस नहीं आने वालीं। पाकिस्तान की सरकार आज यदि अपने लोगों के सामने पानी की समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती है तो यह आधा सच होगा। असली सवाल यह है कि पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में पहुंचाया किसने। भारत ने तो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। पहलगाम का आतंकी हमला किसने किया, आतंकियों को किस तरह का समर्थन मिलता रहा, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने कितनी ईमानदार कार्रवाई की और दोनों देशों के संबंधों को किसने लगातार खराब किया, इन सवालों से पाकिस्तान की सरकार और उसकी व्यवस्था बच नहीं सकती।

करोड़ों पाकिस्तानी नागरिकों के सामने पानी की चुनौती खड़ी होती है तो इसका दोष केवल भारत पर डाल देना आसान राजनीतिक रास्ता हो सकता है, लेकिन यह जनता को सच्चाई से दूर रखने जैसा होगा। पाकिस्तान की आवाम को यह सवाल अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि भारत के साथ दुश्मनी और आतंकवाद की नीति ने देश को क्या दिया। आर्थिक संकट से जूझता पाकिस्तान पहले ही अनेक मोर्चों पर परेशान है। ऐसे में पानी जैसी मूलभूत जरूरत से जुड़ा संकट उसके लिए और गंभीर चुनौती बन सकता है।

भारत के लिए यह अवसर केवल पाकिस्तान पर दबाव बनाने का नहीं, बल्कि अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का भी है। लद्दाख में जल संरक्षण की योजनाएं वहां के किसानों और स्थानीय आबादी के लिए राहत लेकर आ सकती हैं। सिंधु का पानी यदि स्थानीय जरूरतों के लिए संरक्षित किया जाता है तो इससे खेती, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। सीमा से लगे क्षेत्रों में विकास अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। यह भी समझना जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल केवल राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधन के रूप में होना चाहिए। भारत को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने जल संसाधनों का अधिकतम वैध और वैज्ञानिक उपयोग करना चाहिए। सिंधु नदी पर चेक डैम जैसी परियोजनाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बन सकती हैं।

पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद के सहारे भारत को दबाव में लाने का दौर समाप्त हो चुका है। भारत न तो आतंकवादी हमलों को सामान्य घटना मानने के लिए तैयार है और न ही अपनी सुरक्षा तथा संसाधनों के सवाल पर पुरानी मानसिकता में रहने वाला है। यदि पाकिस्तान को अपने लोगों के लिए पानी चाहिए तो सबसे पहले उसे भारत के खिलाफ आतंकवाद की नीति पर पुनर्विचार करना होगा।

सिंधु नदी सदियों से बह रही है और आगे भी बहती रहेगी। लेकिन उसके पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यवस्था बनी थी, वह आपसी विश्वास और शांतिपूर्ण संबंधों की भावना पर टिकी थी। जब विश्वास ही लगातार तोड़ा गया तो उस व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक था। पहलगाम के बाद भारत ने इसी संदेश को स्पष्ट किया है।

अब पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वह सिंधु जल को लेकर भारत को कोसने के बजाय अपने गिरेबान में झांके। जिस आतंकवाद को उसने वर्षों तक भारत के खिलाफ नीति का हिस्सा बनाए रखा, उसी ने आज उसके सामने अनेक संकट खड़े कर दिए हैं। भारत ने अपने पानी को बचाने और उसका अपने लोगों के हित में उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उपशी का चेक डैम इसी बदलते युग की पहली झलक है।

हालिया टकराव के बाद ईरान और खाड़ी देशों का ब्रिक्स में होगा आमना-सामना, अब मोदी की कूटनीति देखेगी दुनिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से दुनिया को यह संदेश देते रहे हैं कि 'यह युद्ध का युग नहीं है।' अब यही संदेश उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी कसौटी बन गया है। एक तरफ रूस-यूक्रेन युद्ध अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, दूसरी ओर पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने खाड़ी देशों को भी सीधे संकट में डाल दिया है। ऐसे समय में दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक क्षमता का बड़ा प्रदर्शन भी बनने जा रहा है। ब्रिक्स में रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे परस्पर विरोधी हितों वाले देश एक साथ मौजूद होंगे।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर मोदी-पुतिन मुलाकात पर है। हाल ही में एससीओ सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से साफ कहा था कि अब युद्ध को आगे बढ़ाने की बजाय उसे खत्म करने का रास्ता तलाशना चाहिए। भारत और रूस के दशकों पुराने मजबूत रिश्तों के बीच मोदी का यह संदेश काफी महत्वपूर्ण है। अब ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी के पास एक और मौका होगा कि वह रूस के साथ अपनी दोस्ती कायम रखते हुए पुतिन को बातचीत और शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

हम आपको यह भी बता दें कि इस दिशा में भारत केवल रूस से बात नहीं कर रहा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर हाल में कीव गए और यूक्रेनी नेतृत्व के साथ बातचीत की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है और युद्ध को समाप्त करने में उपयोगी विचारों पर काम करने के लिए तैयार है। यानी मोदी सरकार की रणनीति किसी एक पक्ष को चुनने की नहीं, बल्कि दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखकर शांति की गुंजाइश बचाए रखने की है।

वहीं पश्चिम एशिया में यही नीति और भी कठिन है। हालिया संघर्ष के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के क्रम में बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, जॉर्डन और दूसरे देशों को भी अपनी सैन्य कार्रवाई के दायरे में ला दिया। ईरान का तर्क था कि वह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन उन देशों की संप्रभु सीमाओं के भीतर पहुंचे जहां ये ठिकाने मौजूद हैं। जुलाई में भी ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कार्रवाई जारी रखी।

यहीं मोदी की कूटनीति की असली परीक्षा सामने आती है। युद्ध के बीच उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की थी और साफ कहा था कि भारत सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति से चाहता है। साथ ही उन्होंने ऊर्जा और व्यापार के निर्बाध आवागमन तथा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को भारत की प्राथमिकता बताया। दूसरी ओर उन्होंने यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और कतर के नेताओं से अलग-अलग बातचीत कर उनके खिलाफ हुए हमलों की निंदा भी की थी। बहरीन के मामले में प्रधानमंत्री ने सीधे कहा था कि भारत हमलों की निंदा करता है और वहां के लोगों के साथ खड़ा है; सऊदी अरब और यूएई के संदर्भ में भी उन्होंने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन को गंभीरता से लिया था।

यही संतुलन मोदी की विदेश नीति की ताकत है। ईरान से संबंध भी चाहिए और खाड़ी अरब देशों का भरोसा भी; रूस से रणनीतिक साझेदारी भी बचानी है और पश्चिम से आर्थिक-तकनीकी रिश्ते भी मजबूत करने हैं। भारत के लिए यह केवल प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। पश्चिम एशिया में करोड़ों भारतीयों के हित, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सीधे इससे जुड़ी है। मोदी ने ईरान से बातचीत में भी इसी व्यावहारिक प्राथमिकता को सामने रखा है।

साथ ही इस पूरे समीकरण में चीन को अलग करके देखना भी संभव नहीं है। शी जिनपिंग की भारत यात्रा सात वर्ष बाद हो रही है और दोनों देशों के बीच रिश्तों में सावधानी के साथ सुधार की कोशिश दिखाई दे रही है। सीमा पर तनाव कम करना, आर्थिक रिश्तों को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद बनाए रखना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए जरूरी है। इसलिए दिल्ली का ब्रिक्स सम्मेलन मोदी के लिए केवल शिखर सम्मेलन नहीं, बल्कि कूटनीतिक संतुलन का मंच है। एक ही मेज पर पुतिन, शी, पेजेश्कियान, सऊदी और यूएई नेतृत्व के बीच भारत यह दिखा सकता है कि रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ किसी खेमे से दूरी नहीं, बल्कि सभी से अपने हितों के आधार पर संवाद करने की क्षमता है।

देखा जाये तो दुनिया आज अलग-अलग खेमों में बंटी हुई है। ऐसे समय में मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि भारत किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होने की बजाय सभी से संवाद बनाए रखता है। रूस से युद्ध खत्म करने की अपील हो, यूक्रेन से बातचीत, ईरान से संपर्क, खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते, पश्चिम के साथ साझेदारी या चीन से संवाद, भारत हर मोर्चे पर अपने हितों को साधते हुए रिश्ते आगे बढ़ा रहा है। यही संतुलित कूटनीति भारत को इस उथल-पुथल भरी दुनिया में अपनी स्वतंत्र और मजबूत जगह बनाने में मदद कर रही है।

कार्यालय ग्राम पंचायत वाजिदपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वाजिदपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत वाजिदपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, वाजिदपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पतेवा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पतेवा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पतेवा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, पतेवा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत फाजलपुर माफी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फाजलपुर माफी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत फाजलपुर माफी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, फाजलपुर माफी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत शेरपुर मुस्तकम विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शेरपुर मुस्तकम विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शेरपुर मुस्तकम
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, शेरपुर मुस्तकम
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चकनबाला ऐतवाली विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चकनबाला ऐतवाली विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चकनबाला ऐतवाली
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, चकनबाला ऐतवाली
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत फंदेड़ी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फंदेड़ी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत फंदेड़ी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, फंदेड़ी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत रामपुर तगा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रामपुर तगा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत रामपुर तगा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, रामपुर तगा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत शहजादपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शहजादपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी0	
3	बजरफुट	घन मी0	
4	20 एम0एम0 बजरी	घन मी0	
5	40 एम0एम0 ईट रोड़ी	घन मी0	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम0-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम0एम0	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी0	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी0	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी0	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी0सी0 डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली0	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी0वी0सी0 पाईप एवं जी0आई0 पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर0सी0सी0 पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शहजादपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, शहजादपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

नदी के कटाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण,स्थाई रोकथाम की मांग

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के मंडी धनौरा के खादर इलाके में लगातार बढ़ रहे बाढ़ के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने खादर क्षेत्र में बाहें नदी के द्वारा हो रहे कटाव का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मौके पर मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीणों ने उनसे नदी के कटाव को लेकर उसकी स्थाई रोकथाम की मांग की। बता दें कि इब्राहिमपुर माफी में कटाव की स्थिति को लेकर ग्रामीणों और भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकताओं ने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।इसके बाद एसडीएम शैलेश कुमार दुबे के निर्देश पर नायब तहसीलदार अजीत सिंह और बाढ़ खंड के जेई राहुल कुमार मौके पर पहुंचे। रास्ता खराब होने के कारण अधिकारियों ने कटाव प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए भैंसा बुग्गी का सहारा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से स्थिति की जानकारी ली और समस्या के समाधान का भरोसा दिया।नायब तहसीलदार अजीत सिंह और जेई राहुल कुमार ने बाहें नदी के किनारे बसे प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों के अनुसार, रास्ते की स्थिति ऐसी थी कि वाहन कटाव वाले स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ भैंसा बुग्गी से कटरा क्षेत्र पहुंचकर स्थिति देखी।निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों और भाकियू असली कार्यकताओं ने कटाव को लेकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। ग्रामीणों का कहना था कि कटाव से खेती की जमीन प्रभावित हो रही है। उन्होंने नदी पर तत्काल बंधा बनवाने और कटाव रोकने के लिए स्थायी काम शुरू कराने की मांग की।ग्राम प्रधान जबर सिंह समेत ग्रामीणों ने समस्या के जल्द समाधान की मांग की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराया और भरोसा दिया कि प्रशासन उनकी हरसंभव मदद करेगा। बाढ़ नियंत्रण विभाग के माध्यम से समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। एसडीएम शैलेश कुमार दुबे भी खादर क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

नैनो उर्वरकों के प्रयोग से किसानों को मिलेगा आधुनिक एवं संतुलित खेती का लाभ, अब ऐप से बुकिंग करके मिलेगी खाद

बिक्री केंद्र प्रभारियों को खाद वितरण की नई प्रणाली एवं इफको के विभिन्न उत्पादों के प्रयोग की दी गई विस्तृत जानकारी

अमरोहा (सब का सपना):- जिला अमरोहा के कृषि सभागार में गुरुवार को नैनो उर्वरक आधारित बिक्री केंद्र प्रभारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न बिक्री केंद्रों से लगभग 80 बिक्री केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बिक्री केंद्र प्रभारियों को खाद वितरण की नई प्रणाली, इफको के नैनो उर्वरकों की उपयोगिता एवं प्रयोग विधि तथा किसानों तक उर्वरकों की सही एवं वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूक करना रहा। कार्यक्रम की शुरूआत में कृषि उप निदेशक (ऊ़ऋ) महेन्द्र पाल ने बिक्री केंद्र प्रभारियों को खाद वितरण की नई प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उर्वरक वितरण व्यवस्था, किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने तथा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बिक्री केंद्र प्रभारी किसानों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बिक्री प्रभारियों को बताया कि अब ऐप के माध्यम से बुकिंग होने के बाद ही किसान खाद ले सकेंगे यह नई प्रणाली है इसको समझना एवं करना होगा नैनो डीएपी के बीजोपचार की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि खाद का संतुलित मात्रा में एवं वैज्ञानिक तरीके से किसान खाद का उपयोग करे किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक एवं उर्वरकों की सही जानकारी पहुंचाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बिक्री केंद्र प्रभारियों से किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने एवं सही जानकारी देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में इफको के मंडल प्रबंधक (फ्ट) जितेंद्र सिंह गंगवार द्वारा बिक्री केंद्र प्रभारियों को इफको उत्पादित नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि तकनीक का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग से किसानों को उर्वरक प्रबंधन में सुविधा मिल सकती है। उनके द्वारा बताया गया कि नैनो यूरिया प्लस में 20 प्रतिशत नाइट्रोजन उपलब्ध है। इसके प्रयोग की विधि बताते हुए कहा गया कि फसल में आवश्यकता के अनुसार पहली टॉप ड्रेसिंग दानेदार यूरिया से तथा दूसरी टॉप ड्रेसिंग के स्थान पर नैनो यूरिया प्लस का प्रयोग 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जा सकता है। फसल की आवश्यकता के अनुसार लगभग 25-30 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करने की जानकारी दी गई। इसी क्रम में नैनो डीएपी के प्रयोग के बारे में बताया गया कि इसका उपयोग 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा फसल की आवश्यकता के अनुसार 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 25-30 दिन के अंतराल पर 1-2 पर्णीय छिड़काव किया जा सकता है। प्रशिक्षण में बताया गया कि नैनो डीएपी के बीज उपचार से बीजों के बेहतर अंकुरण एवं पौधों की प्रारंभिक वृद्धि में सहायता मिलती है। साथ ही संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाकर दानेदार डीएपी की बचत में भी मदद मिल सकती है। इफको क्षेत्राधिकारी प्रवीन सिंह द्वारा इफको के विभिन्न जल-विलेय उर्वरकों एवं अन्य उत्पादों की उपयोगिता तथा फसलवार प्रयोग की जानकारी भी दी। इस अवसर पर कृषि उप निदेशक महेन्द्र पाल, जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार, इफको मंडल प्रबंधक जितेंद्र सिंह गंगवार, इफको क्षेत्राधिकारी प्रवीन सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार, इफको प्रतिनिधि मोहित, दीपक, अवधेश गोस्वामी सहित कृषि विभाग एवं इफको से संबंधित अधिकारी तथा लगभग 80 बिक्री केंद्र प्रभारी मौजूद रहे।

डिडौली क्षेत्र में सील अस्पताल को दोबारा संचालित करने का मामला, अस्पताल संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

डिडौली/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के डिडौली थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सील अस्पताल को संचालक द्वारा दोबारा संचालित करने का मामला सामने आया है। इसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल संचालक के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की जांच के दौरान क्षेत्र स्थित अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बिना पंजीकरण के मरीजों का इलाज होता पाया गया इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों द्वारा अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए सील लगा दी गई थी। बता दें कि पूरा मामला थाना डिडौली कोतवाली के जोया ब्लॉक क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव का है जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किए गए अस्पताल के दोबारा संचालित मिलने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल संचालक डॉ. साकिब हुसैन के खिलाफ डिडौली थाने में शिकायत दी गई थी।विभाग के अनुसार 30 जुलाई को शिकायत मिलने के बाद अस्पताल की जांच की गई थी। जांच में पंजीकरण संबंधी कमी मिलने पर अस्पताल को सील किया गया था। 10 सितंबर को दोबारा जांच के दौरान सील टूटी मिली और अंदर मरीज भर्ती मिले। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को नोडल अधिकारी डॉ. मोहम्मद उबैस को अस्पताल के संबंध में शिकायत मिली थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की। विभाग के अनुसार अस्पताल का पंजीकरण नहीं मिला और कुछ अन्य कमियां भी सामने आई थीं।जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर सीजर नोटिस दिया था। विभाग के अनुसार संचालक से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था। बाद में विभागीय टीम ने अस्पताल की स्थिति की दोबारा जांच की।10 सितंबर को जांच के दौरान अस्पताल की सील टूटी हुई मिली।

विभागीय टीम के अनुसार अस्पताल के अंदर मरीज भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद नोडल अधिकारी ने डिडौली थाने में शिकायत दी।डिडौली पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल का संचालन और सील तोड़े जाने से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में जनपद अमरोहा प्रदेश के टॉप 2 जिलों में शामिल

अमरोहा (सब का सपना):- पुलिस अधीक्षक अमरोहा के कुशल नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित उट डैशबोर्ड पर कानून-व्यवस्था से संबंधित मानकों पर आधारित रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में जनपद अमरोहा को माह अगस्त 2026 में प्रदेश भर की रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड द्वारा प्रदेश में कानून-व्यवस्था संबंधित पुलिस विभाग के कार्यों की परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदेश स्तर पर प्रत्येक माह जनपदों की रैंकिंग जारी की जाती है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव द्वारा उट डैशबोर्ड संबंधित कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए सभी संबंधित को लगातार आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं।

सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत पुलिस विभाग के विभिन्न पोर्टलों की प्रचलित सेवाओं में किए गए कार्य प्रदर्शन की समीक्षा कर रैंकिंग की जाती है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के उट डैशबोर्ड पर विभिन्न सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा समीक्षा कर पोर्टल पर आ रही कमियों को दूर किया गया तथा विभिन्न पोर्टलों पर समयबद्ध कार्यों हेतु समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, हल्का प्रभारी को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु लगातार प्रोत्साहित किया गया। माह अगस्त में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं में एससी/एसटी एक्ट में कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में अपराधियों की गिरफ्तारी, गुंडा एक्ट की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गौवध निवारण अधिनियम, शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण व महिला संबंधी अपराधों में कार्रवाई तथा सत्यापन संबंधी कार्यवाही, चरित्र प्रमाण पत्र आदि की कार्रवाई प्रदेश स्तर पर जनपद अमरोहा की सर्वाधिक (शत-प्रतिशत) रही है।

अमरोहा पुलिस आगे भी प्रत्येक क्षेत्र में इसी तरह से निरंतर कार्य करती रहेगी तथा नागरिक सुरक्षा एवं अपराध/भय मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

धनौरा में भाकियू (शंकर) गुट ने एसडीएम को सौंपा 10 सूत्रीय मांगपत्र, समाधान न होने पर किया धरने का ऐलान

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के मंडी धनौरा तहसील परिसर में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन (शंकर) गुट के किसानों ने धनौरा एसडीएम शैलेश कुमार दुबे से मुलाकात की,इस दौरान उन्होंने एक 10 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम शैलेश कुमार दुबे को सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने धरने का ऐलान करते हुए मांगे पूरी न होने पर 15 सितंबर को तहसील परिसर में आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि मंडी धनौरा में भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के जिलाध्यक्ष चौधरी नेमपाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी शैलेश कुमार दुबे से मुलाकात की। उन्होंने एसडीएम को 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने तहसील में 40 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले पर एसडीएम का आभार जताया। एसडीएम शैलेश दुबे ने सभी विभागों से मिलकर समस्याओं का समय पर समाधान कराने का आश्वासन दिया है।ज्ञापन में संगठन ने क्षेत्र की कई अहम समस्याएं उठाईं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने धनौरा में आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक पर चिंता जताई। उन्होंने गजरौला में औद्योगिक प्रदूषण से धान की फसल काली पड़ने और राजस्व व चकबंदी विभाग में फैले भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया।उन्होंने गंगा किनारे बिजली से चलने वाले शवदाह गृह बनाने, थाजलपुर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने और कांवड़ यात्रा के दौरान जोगीपुरा में बने बहुत ऊंचे व असुरक्षित स्पीड ब्रेकरों को मानक के हिसाब से ठीक करने की मांग की।इसके साथ ही, बिजली विभाग द्वारा बिना बताए उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने की जांच कराने की मांग की गई। संगठन ने बाढ़ और ज्यादा बारिश से खराब हुई फसल का सर्वे कराकर मुआवजा देने की भी बात कही। क्षेत्र में फैल रहे डेंगू और वायरल फीवर को रोकने के लिए गांवों में फॉगिंग और स्वास्थ्य शिविर लगाने की भी मांग की गई।संगठन ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर समय पर कार्रवाई चाहिए। चौधरी दिवाकर सिंह ने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का पक्का समाधान नहीं हुआ, तो भारतीय किसान यूनियन (शंकर) 15 सितंबर 2026 को तहसील धनौरा परिसर में बड़ा धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेगी।इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह, चंद्रभान सैनी, जितेंद्र सिंह, रश्मि यादव, गीता देवी, प्रियंका भटनागर, राजेंद्र सिंह, मूलचंद सिंह और निरंकार , सुंदर ढयौटी सिंह समेत कई पदाधिकारी और किसान मौजूद थे।

कार्यालय ग्राम पंचायत सुजमना विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सुजमना विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सुजमना
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, सुजमना
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर पट्टी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर पट्टी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर पट्टी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, मोहम्मदपुर पट्टी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कोराला विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोराला विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत कोराला
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, कोराला
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत लेहदवर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लेहदवर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत लेहदवर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, लेहदवर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पपसरा बंगर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पपसरा बंगर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पपसरा बंगर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, पपसरा बंगर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत फतेहउल्लापुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फतेहउल्लापुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत फतेहउल्लापुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, फतेहउल्लापुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत शरीफपुर सुमाली विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शरीफपुर सुमाली विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शरीफपुर सुमाली
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, शरीफपुर सुमाली
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कादराबाद विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कादराबाद विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत कादराबाद
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, कादराबाद
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत लिसडी खुर्द विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लिसडी खुर्द विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत लिसडी खुर्द
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, लिसडी खुर्द
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत सुनगढ़ माफी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सुनगढ़ माफी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सुनगढ़ माफी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, सुनगढ़ माफी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

गुलदार ने युवती को खेत में खींचकर मार डाला

शौच के लिए घर से निकली मानसिक रूप से अस्वस्थ बबीता पर हमला, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर छुड़ाया शव, इलाके में दहशत और आक्रोश

बिजनौर (सब का सपना):- जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजा रामपुर फाजिल उर्फ आल्लोपुर गांव में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घर के पास शौच के लिए गई 40 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती बबीता पर गन्ने के खेत में छिपे गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार युवती को घसीटकर खेत के भीतर ले गया। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए खेत में घुसकर गुलदार का पीछा किया और शोर मचाकर उसे भगाया, लेकिन तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

अचानक झपटा गुलदार, खेत में घसीट ले गया

बताया गया कि बुधवार शाम करीब 5:30 बजे स्वर्गीय ओमप्रकाश की 40 वर्षीय पुत्री बबीता घर से कुछ ही दूरी पर शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गन्ने के खेत में छिपे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया। गुलदार उसे झपटकर खेत के अंदर घसीट ले गया। युवती की चीख सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़े।

जान की परवाह किए बिना खेत में घुसे ग्रामीण

ग्रामीणों कपिल, जोगेंद्र सिंह, देव कुमार, सौरभ कुमार, महावीर, नटवर सिंह, जगबीर सिंह और सतीश सिंह ने साहस का परिचय देते हुए गन्ने के खेत में प्रवेश किया। ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए हांका लगाया तो गुलदार युवती को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। ग्रामीणों ने युवती को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बबीता का शव उदयवीर के खेत से बरामद हुआ।

तीन भाइयों की इकलौती बहन थी बबीता

बबीता मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और अपने परिवार के साथ रहती थी। वह तीन भाइयों उपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और हिमाचल की इकलौती बहन थी। तीनों भाई मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बहन की दर्दनाक मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। भाइयों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों ने की गुलदार पकड़ने की मांग

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद और वन क्षेत्राधिकारी रामकुमार पुलिस एवं वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया तथा परिजनों को सांत्वना दी। घटनास्थल पर पवन कुमार, दीपक कुमार, विजय सिंह, शब्द सिंह, राहुल शेखर, नवबहार, नरेश और सुरेश समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लगातार हो रहे गुलदार के हमलों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने तथा मृतका के परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है।

लव मैरिज के सात माह बाद तीन तलाक का आरोप, पति समेत चार पर केस

दहेज के लिए मारपीट और उत्पीड़न का भी आरोप, घर से निकालने की शिकायत

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- घरवालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाली युवती ने शादी के सात माह बाद पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला अकबरान निवासी दानिश की पुत्री आजका ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब सात माह पूर्व उसने परिजनों की मर्जी के खिलाफ मोहल्ले के ही उमैद पुत्र मुजफ्फर से शादी की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति उमैद, जेठ जफर, सास रानी और ससुर मुजफ्फर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर मानसिक उत्पीड़न करने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आजका के अनुसार, पति उमैद ने उसे तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि सात सितंबर की रात पति उमैद और जेठ जफर ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर नगीना पुलिस ने पति उमैद, जेठ जफर, सास रानी और ससुर मुजफ्फर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सांप के डसने से 10 वर्षीय बालिका की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- नगर के मोहल्ला सरायमीर में बुधवार रात सांप के डसने से 10 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बालिका की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला सरायमीर निवासी बीनू कुरैशी की 10 वर्षीय पुत्री कुमारी रूही बुधवार रात घर में सो रही थी। इसी दौरान किसी समय सांप ने उसे डस लिया। परिजनों को घटना का पता तब चला, जब बालिका की हालत बिगड़ने लगी। गुरुवार सुबह परिजन आनन-फानन में बालिका को उपचार के लिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि सीएचसी की इमरजेंसी में ड्यूटी पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं मिला।

इसके बाद वे बालिका को कोतवाली देहात स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले गए। वहां चिकित्सकों ने बालिका की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल बिजनौर के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बालिका की मौत हो गई। रूही की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बुलट सवार ने बाइक में मारी टक्कर, घायल को इलाज का भरोसा देकर हुआ फरार

बाइक-मोबाइल क्षतिग्रस्त, फोन करने पर नंबर किया ब्लॉक, पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

नगीना/बिजनौर (सब का सतना):- तेज रफ्तार बुलट बाइक सवार ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक और मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गए। आरोप है कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने पर बुलट सवार ने अपनी गलती मानते हुए इलाज और क्षतिग्रस्त सामान की मरम्मत का खर्च देने का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में पीड़ित का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अकराबाद चौक निवासी मोहम्मद सिद्दीकी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह अगस्त की रात करीब 9:45 बजे वह पहाड़ी दरवाजा से नगीना-बढ़ापुर-रायपुर मार्ग होते हुए अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान नगीना की ओर से इकराम मलिक अपने तीन साथियों के साथ बुलट बाइक पर तेज गति से आया और उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोहम्मद सिद्दीकी घायल हो गया तथा उसकी बाइक और मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गए। आरोप है कि मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र होने पर इकराम मलिक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बाइक व मोबाइल ठीक कराने तथा इलाज का खर्च देने का भरोसा दिया। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ मौके से चला गया। पीड़ित के अनुसार, बाद में जब उसने इकराम से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका नंबर ब्लॉक मिला। काफी प्रयास के बाद भी कोई समाधान नहीं होने पर उसने नगीना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रख्यात पार्श्व गायक मोहम्मद रफी में आस्था पड़ी भारी, रिश्तेदारों ने की बिजनौर के शिक्षक से 65 लाख की ठगी

बिजनौर (सब का सपना):- प्रख्यात पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के प्रति अटूट आस्था एक शिक्षक को भारी पड़ गई। बांद्रा (मुंबई) स्थित रफी साहब के घर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने गए बिजनौर निवासी एक सरकारी शिक्षक से झांसा देकर 65 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। आरोप है कि मोहम्मद रफी के धेवते (नाती) और उनकी पत्नी समेत रिश्तेदारों ने रेलवे में नौकरी और कैंटीन का ठेका दिलाने का लालच देकर यह बड़ी ठगी की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के काजीपाड़ा मोहल्ले के रहने वाले मुजीबुर्रहमान पेशे से प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक हैं। संगीत में गहरी रुचि रखने वाले मुजीबुर्रहमान गायक मोहम्मद रफी के मुरीद हैं। वह पिछले कई सालों से हर वर्ष 24 दिसंबर को रफी साहब की जयंती पर श्रद्धांजलि देने बांद्रा स्थित उनके आवास जाते थे। वर्ष 2021 में जयंती कार्यक्रम के दौरान मुजीबुर्रहमान की मुलाकात वहां रह रहे मोहम्मद रफी के परिजनों और रिश्तेदारों से हुई। धीरे-धीरे उनसे बातचीत और संपर्क बढ़ता गया। इसी दौरान आरोपियों ने शिक्षक का विश्वास जीतते हुए दावा किया कि रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से उनके गहरे संबंध हैं। उन्होंने शिक्षक को परिजनों के लिए रेलवे में पक्की नौकरी और कैंटीन का ठेका दिलवाने का झांसा दिया। पीड़ित के अनुसार, इस पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार रफी साहब के नाती इरफान परवेज की पत्नी फरहीन थी। उसके झांसे में आकर शिक्षक ने 2021 में अलग-अलग एक दर्जन से अधिक बैंक खातों में लगभग 65 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे और पांच सालों तक झूठे आश्वासन देते रहे। जब शिक्षक ने नौकरी न मिलने पर अपनी रकम वापस मांगी, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं।

परेशान होकर शिक्षक ने बिजनौर के शहर कोतवाली में तहरीर दी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इरफान परवेज अहमद, उसकी पत्नी फरहीन, बेटे उबैद और इमाद के अलावा शहाना कुरैशी, रिहाना कुरैशी व शाहनवाज कुरैशी समेत आठ आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर लिया है।

शहर कोतवाल अवनीत मान ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है।

पनिहा नाला पुल पर मौत का गड्ढा, जिम्मेदार बेखबर

जहानाबाद/फतेहपुर (सब का सपना):- लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते जहानाबाद रोटी मार्ग में स्थित पनिहा नाला पुल पर बारिश मे सडक की पटरी में गहरा गड्ढा हो जाने से किसी बडे हादसे को दावत दे रहा है। पिछले दिनो हुई बारिश की वजह से जहानाबाद रोटी मार्ग में गाँव रोशनपुर के समीप पनिहा नाला पुल के समीप मार्ग के किनारे पटरी धंसने के कारण करीब दस फुट गहरा गड्ढा हो जाने से इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों के लिए बडा. हादसा होने का खतरा मड़रा रहा है । जबकि इस मार्ग से छोटे बडे वाहनों का आवागमन रात दिन होता है मार्ग में पनिहा नाला पुल पर सड़क के किनारे पटरी पर हुए करीब 10 फुट गहरे गड्ढे पर किसी ने कटीली झाड़िया रख दी है। जिससे हादसे की प्रबल संभावना बढ़ गयी है। किंतु लोग निर्माण विभाग द्वारा अभी तक गहरे गड्ढे को मरम्मतीकरण कराये जाने की सुधि नहीं ली है। जिससे क्षेत्रीय लोगों मे रोष व्याप्त है। जबकि जहानाबाद से रोटी मार्ग में दिन रात रोशनपुर, पंथूसिंह का पुरवा,कापिल,किशुनपुर कपिली,खैराबाद,कीरतसिंह का पुरवा,बसफरा,खजुरिहा,नरैनी,पनेरुवा, रोटी,नसेनियां,डिघरुवा,फिरोजपुर, मधिहाखेड़ा,देवरी, पपरेंदा, बबई, बाबूपुर, गौरा,आदि सहित आधा सैकड़ा गांवो के लोगों को जहानाबाद,घाटमपुर, कानपुर नगर आवागमन के लिए छोटे बड़े वाहनों से दिन रात इसी मार्ग से सफर करते हैं।

42 महीने से अधूरी सड़क, गड्ढों और निर्माण सामग्री के बीच सफर, हादसों से सहमे राहगीर

चांदपुर-धनौरा-दिल्ली/गजरौला मार्ग को लेकर शिवसेना का PWD पर हमला, जल्द निर्माण पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

चांदपुर/बिजनौर (सब का सपना):- चांदपुर-धनौरा-दिल्ली/गजरौला मार्ग का निर्माण लंबे समय से अधर में लटका होने से राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़क के दोनों ओर गहरे गड्ढे, बिखरी निर्माण सामग्री और अधूरा पड़ा निर्माण कार्य हादसों को न्योता दे रहा है। मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर शिवसेना ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।शिवसेना जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चांदपुर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण शीघ्र पूरा कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 42-43 माह से सड़क निर्माण कार्य लंबित है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। शिवसेना नेताओं का कहना है कि अधूरी सड़क के कारण आए दिन दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे और जगह-जगह पड़ा निर्माण सामान रात के समय खतरे को और बढ़ा देता है। संगठन का दावा है कि पिछले कई महीनों में दर्जनों लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ज्ञापन में शिवसेना ने मांग की कि सड़क निर्माण कार्य को बिना किसी और देरी के पूरा कराया जाए। जब तक निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक गड्ढों को सुरक्षित कराया जाए, निर्माण सामग्री को व्यवस्थित कराया जाए तथा मार्ग पर पर्याप्त चेतावनी संकेतक और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।संगठन ने निर्माण कार्य में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग उठाई है। शिवसेना का कहना है कि इतने लंबे समय से सड़क निर्माण अधूरा पड़े रहने से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।शिवसेना ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन जनहित में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

पेट्रोल पंप के निर्माण को लेकर विवाद, प्रशासन ने कराई पैमाइश

एसडीएम के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों की भूमि की नापतोल, दूसरी बार हुई पैमाइश

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- स्टेशन रोड स्थित अग्रवाल ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर चल रहे मरम्मत एवं निर्माण कार्य को कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से रुकवाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने एसडीएम नगीना प्रिंस कुमार को शिकायती पत्र देकर अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा कराने तथा निर्माण रुकवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि स्टेशन रोड स्थित अग्रवाल ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप परिसर में पंप स्वामी द्वारा मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराया जा रहा था। आरोप है कि कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया। शिकायत में कहा गया है कि पेट्रोल पंप का नक्शा एवं एनओसी जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा स्वीकृत व प्रमाणित है। पंप खसरा नंबर 429, मौजा चतरभोजपुरी में वर्ष 1967 से स्थापित बताया गया है। शिकायत के बाद गुरुवार दोपहर एसडीएम प्रिंस कुमार के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में नायब तहसीलदार नगीना एवं राजस्व टीम द्वारा दोनों पक्षों की भूमि की पैमाइश कराई गई। पेट्रोल पंप से सटी मस्जिद की भूमि की भी नापतोल की गई। बताया गया कि मामले में यह दूसरी बार पैमाइश कराई गई है। हालांकि पैमाइश के बाद की गई कार्रवाई के संबंध में नायब तहसीलदार ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल पंप स्वामी डब्बू अग्रवाल ने बताया कि परिसर में पहले से लगा पोल उखड़वाकर उसके स्थान पर एक छोटा चबूतरा बनवाया जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवा दिया। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर वह पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और जिलाधिकारी जसजीत कौर से भी मिलकर पूरा प्रकरण बता चुके हैं। पेट्रोल पंप स्वामी ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा कराने तथा निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन द्वारा कराई गई पैमाइश के बाद मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों की निगाहें प्रशासन के निर्णय पर टिकी हैं।

चोरी की दो भैंसें बरामद, तीन शातिर गिरफ्तार

कोतवाली देहात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो हिस्ट्रीशीटर भी दबोचे, करीब तीन लाख की भैंसें बरामद

बिजनौर (सब का सपना):- कोतवाली देहात पुलिस ने पशु चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोरी की गई दो भैंसों को बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब तीन लाख रुपये कीमत की दो जीवित भैंसें बरामद की हैं।पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को ग्राम इस्लामपुर लाल उर्फ मालिवाला निवासी जलालुद्दीन पुत्र मुर्तजा ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोर उसके घर का ताला तोड़कर करीब तीन लाख रुपये कीमत की दो भैंस चोरी कर ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 208/2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने करीब 75 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस को चोरी की गई दोनों भैंसों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले और पुलिस टीम जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र तक पहुंची। वहां से दोनों भैंसों को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में सुभान उर्फ भूरा पुत्र उस्मान निवासी ग्राम भनेड़ा थाना किरतपुर, नीतू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम भैकी थाना किरतपुर तथा इफ्तकार उर्फ टाइगर पुत्र हनीफ निवासी ग्राम भनेड़ा थाना किरतपुर को गिरफ्तार किया है। इनमें सुभान उर्फ भूरा और नीतू को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बताया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास में चोरी, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। सुभान उर्फ भूरा के खिलाफ कोतवाली देहात, धामपुर, किरतपुर, नगीना, नजीबाबाद आदि थानों में 11 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वहीं नीतू के खिलाफ भी किरतपुर, धामपुर, कोतवाली देहात समेत विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इफ्तकार उर्फ टाइगर के खिलाफ किरतपुर थाने में पूर्व के मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में सर्विलांस/स्वाट टीम के साथ कोतवाली देहात पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।

श्रीकृष्णे की छठी उत्सव में श्रद्धालुओं नेकढ़ी चावल का किया गया भोग ग्रहण

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- नगर के दो मंदिरों शिव धाम मंदिर आजाद कालौनी व श्री पंजाबी महावीर मंदिर में श्री कृष्ण जी की छठी उत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया इस अवसर पर भजन कीर्तन के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। जिसमें हजारों महिला पुरुष व बच्चों ने कड़ी चावल का प्रसाद ग्रहण किया। परंपरा अनुसार श्री कृष्णा जी का जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है जन्माष्टमी को सभी मंदिरों को सजाया जाता है। शुक्रवार की रात 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाने के बाद बृहस्पतिवार को 6 दिन के बाद मोहल्ला आजाद कालौनी स्थित शिव धाम मंदिर व मौ. सैयदवाडा स्थित श्री पंजाबी महावीर मंदिर दोनों मंदिरों में श्री कृष्ण जी की छठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से महिलाओं ने भजन कीर्तन किया और भगवान श्री कृष्ण जी की लीला पाठ श्रद्धालुओं को सुनाया। बाद में श्री कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष आरती उतारी गई। आरती के बाद दोपहर 1: बजे विशाल भंडारे को आयोजन किया गया। जिसमें कढ़ी चावल और हलवा आदि का प्रशाद हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। श्री कृष्ण जी की छठी कार्यक्रम को सफल बनाने में सीपी सचदेवा संरक्षक, राजकुमार सेठी उपप्रबंधक, एसके बब्बर सचिव, पीके सचदेवा, आके सचदेवा, देवेंद्र खरबंदा, ओमप्रकाश बांगा, चरणजीत सचदेवा, धीरज कालरा, राजकुमार मुठरेजा, संजीव मुठरेजा, सुभाष कुमार अरोड़ा, अमित कुमार टिक्कू, घनश्याम मुठरेजा, सोहन सचदेवा, रोहित मूठरेजा, हरमीत सिंह प्रेम सचदेवा अमन सचदेवा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कार्यालय ग्राम पंचायत डींगरा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डींगरा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत डींगरा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, डींगरा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत अहरौला माफी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अहरौला माफी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत अहरौला माफी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, अहरौला माफी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत पाराखालसा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पाराखालसा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत पाराखालसा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, पाराखालसा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत ततारपुर गर्वी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ततारपुर गर्वी विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत ततारपुर गर्वी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, ततारपुर गर्वी
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत चौहड़पुर बगद विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चौहड़पुर बगद विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत चौहड़पुर बगद
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, चौहड़पुर बगद
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत अम्हेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अम्हेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत अम्हेड़ा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, अम्हेड़ा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मलेशिया विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मलेशिया विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मलेशिया
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, मलेशिया
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत मुसल्लेपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुसल्लेपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईंट रोड़ी	घन मी०	
6	ईंट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईंट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01- यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत मुसल्लेपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, मुसल्लेपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

स्वर्गीय चौ. इश्वर सिह मैमोरियल संस्था ने मेधावी छात्र छात्राओ को किया सम्मानित

शामली (सब का सपना)– जनपद शामली के विकास खण्ड कांधला की ग्राम पंचायत मीमला मे स्वर्गीय चौ. इश्वर सिंह मैमोरियल संस्था ने 10वी व 12वी के मेधावी छात्र छात्राओ सम्मान के कार्यक्रम का आयोजन शिव दुर्गा मन्दिर मीमला मे किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्य वैदिक कन्या इण्टर कॉलेज की प्राचार्य कमलेश देवी ने की और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी नेत्रपाल सिंह रहे। कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष स्वर्गीय ईश्वर सिंह की पुण्यतिथि पर उनके दोनों पुत्रों के द्वारा रवि चौहान व शेखर चौहान ने संपन्न कराया कराया जाता है। जिसमें गांव के 10वी व 12वीं की छात्रा व छात्र को सम्मानित किया गया और इनाम राशि और पारितोषिक देकर उनका हौसला भी बढ़ाया जाता है। सम्मानित होने वाले छात्र कक्षा 10 के छात्र सार्थक चौहान पुत्र विश्वास चौहान, अर्पित कश्यप पुत्र अमित कश्यप और देव उपाध्याय पुत्र करणपाल उपाध्याय जबकि कक्षा 10 की छात्राये अंतिम चौहान पुत्री सुनील चौहान, जिया कुमारी पुत्री योगेंद्र प्रजापत व देविका शर्मा पुत्री राजीव शर्मा साथ ही कक्षा 12 मे उत्तीर्ण छात्र व छात्राये देव चौहान पुत्र मास्टर प्रमोद चौहान, सना सैफी पुत्री वसीम सैफी और अवनी चौहान पुत्री वीरेंद्र चौहान को पुरुस्कार व मोमेंटो भेट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मे राजपाल प्रधान, मास्टर विनय चौहान मास्टर, अवनीश चौहान और रवि चौहान, विस्वास, जयदेव, अनिल, सोनू आदि मौजूद रहे।

गजरौला क्षेत्र में भागवत कथा के दौरान कलश यात्रा का आयोजन, धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा

गजरौला/अमरोहा (सब का सपना):– जनपद के गजरौला क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई में गुरुवार को भागवत कथा के शुभारंभ के दौरान भव्य कलश यात्रा का आयोजन कराया गया। जिसमे भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भाग लिया। कलश यात्रा को मंदिर प्रांगण से आरंभ करते हुए गांव के मुख्य रास्तों पर भ्रमण कराया गया और वापस मंदिर पर लाकर समाप्त किया गया ।इसके बाद भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि गजरौला ब्लॉक क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ। इस दौरान कथा के आरंभ होने से पूर्व गांव में एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन कराया गया जिसको गांव स्थित कथा स्थल शिव मंदिर से प्रारंभ किया गया और संपूर्ण गांव का भ्रमण करते हुए वापस कथा स्थल पर लाकर समाप्त कराया गया। इस दौरान कलश यात्रा में गांव की 108 महिलाओं ने बड़े भक्ति भाव से कलश यात्रा में भाग लिया और सर पर कलशों को रखकर संपूर्ण गांव में भ्रमण किया। जिसके बाद शिव मंदिर प्रांगण में कथावाचक पूज्य श्री कृष्णकांत शास्त्री जी के मुख मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में भागवत कथा को सैकड़ो लोगों ने बड़े ही भक्ति भाव और शांतिपूर्ण तरीके से श्रवण किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्य एवं ग्राम प्रधान ओमकार सिंह सैनी ने बताया कि इस भागवत कथा का आज प्रारंभ किया गया है जो अगले 7 दिनों तक चलेगा उन्होंने सभी ग्रामीणों एवं भक्तजनों से श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर वहां पर कमेटी के सदस्य ओमकार सिंह प्रधान, बाबू प्रजापति, मलखे प्रजापति, महेंद्र कारीगर ,राज सांवरिया, शिवकिशोर, देवेंद्र ,ब्रह्मपाल, मनीष, आकाश, चमन पेंटर सहित कमेटी के अन्य सदस्य भी सेवादार बनकर मौजूद रहे।

चार दिन पूर्व घर से साइकिल बनवाने के लिए निकला किशोर लापता

परिजनों ने दर्ज कराई थाने में गुमशुदगी, प्रथम दृष्टया पर पुलिस ने सीसी कैमरे देखते हुए शुरू की जांच

फतेहपुर (सब का सपना):– राधानगर थाना क्षेत्र के सथरियाव गांव से चार दिन पूर्व घर से साइकिल बनवाने के लिए निकले किशोर का अभी तक पता न चलने पर परिजनों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। प्रार्थना पत्र में गुमशुदा किशोर योगेश कुमार के पिता महेंद्र ने बताया कि उसका लड़का सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम में कक्षा 11 में अध्यनरत था और 6 सितंबर 2026 की सुबह घर से साइकिल बनवाने के लिए निकला था देर शाम तक जब वह वापस न लौटा तो परिजन चिंतित हुए और उसकी खोज में लग गए लगातार रिश्तेदारों व अन्य जगहो पर तलाश के बाद भी योगेश का कोई अता-पता ना चला तो वह थाने जाकर उसके गुम होने की सूचना दी जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी और साथरियांव मार्ग पर साहू चक्की के पास से बाल मंदिर इंटर कॉलेज वाले मार्ग पर लगे सीसी कैमरा में योगेश को साइकिल से जाते देखा गया लेकिन बांदा टांडा मार्ग पर योगेश किस तरफ गया इसका कोई पता ना लग सका। आखिरी आंसू सूत्रों की मानें तो पुलिस ने जयरामनगर चौराहे के तमाम सीसी कैमरो को देखने का प्रयास किया लेकिन ज्यादातर कैमरे खराब निकले जिससे पुलिस को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद का 61वां शहादत दिवस मनाया

नूरपुर/बिजनौर (सब का सपना):– समाजवादी आंदोलन पार्टी के मुख्यालय दौलतपुर बिल्लौच, नूरपुर में गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद का 61वां शहादत दिवस (बलिदान दिवस) श्रद्धापूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नूरपुर विधानसभा प्रभारी ठाकुर प्रमोद कुमार चौहान ने की, जबकि संचालन चांदपुर विधानसभा प्रभारी चौधरी सुनील कुमार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी आंदोलन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर नबी इदरीसी ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जन्म ग्राम धामूपुर, जिला गाजीपुर में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान सिलाई का कार्य करते थे। उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा और संस्कार देकर देशसेवा के लिए प्रेरित किया। अकबर नबी इदरीसी ने कहा कि वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी पैटन टैंकों को निशाना बनाया। उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि वीर अब्दुल हमीद का बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्त्रोत रहेगा और राष्ट्र उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। इस अवसर पर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वसीम सिद्दीकी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद रफी मिकरानी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कारी फखरुद्दीन अंसारी, युवा पश्चिम प्रभारी उत्तर प्रदेश इमरान सैफी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुस्तफा इदरीसी, सलीम अहमद (प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 5, नूरपुर ब्लॉक), अब्दुल्ला सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के त्याग, साहस और देशभक्ति को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।

यूपी में फ्री बीज पाने के लिए पोर्टल पर बुकिंग कराना अनिवार्य, सरकार भी देगी सब्सिडी

अमेठी। प्रदेश सरकार की नई योजना के तहत किसानों को अनुदान व निश्शुल्क पर उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको वर्तमान समय में ई-लाटरी के माध्यम से वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए किसानों से पोर्टल पर बुकिंग करने की अपील की गई है, जो किसान अभी तक बुकिंग नहीं कर सके हैं वह जल्द से जल्द करा लें। ऐसा न करने पर वह लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि योजना के तहत किसानों को गेहूं, तोरिया, सरसों, जौ, चना, मटर, मसूर आदि के बीजों को अनुदान पर प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर बुकिंग करानी होगी। बुकिंग करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण का प्रयोग करने के बाद ही बीज की बुकिंग हो पाएगी। बुकिंग करने की प्रक्रिया के तहत कृषि विभाग के दर्शन-2 पोर्टल पर बीज मिनीकिट का विकल्प प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई करने का विकल्प प्रदर्शित होगा। उसके बाद कृषि विभाग का पंजीकरण संख्या, फार्मर आईडी दर्ज करना होगा, ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाएगा। ओटीपी अंकित करने के उपरांत बीज मिनीकिट की बुकिंग सभी किसान कर पाएंगें। कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग करने के बाद ही अनुदान पर बीज प्राप्त होगा, अन्यथा अन्य किसी भी माध्यम से अनुदान पर बीज प्राप्त नहीं होगा। बीज के अंतर्गत सभी प्रकार के सामान्य बीज, सभी प्रकार के प्रदर्शन एवं सभी प्रकार के संकर बीज शामिल हैं।

फतेहपुर में विकास के दावे फेल, कोर्राकनक मजरे चननू का डेरा आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर

फतेहपुर (सब का सपना):– उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच फतेहपुर जिले की आयाह शाह विधानसभा का कोर्राकनक मजरे चननू का डेरा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। गांव में सालों से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। नाली और पक्की सड़क न होने से पूरा रास्ता कीचड़ और गंदे पानी में तब्दील हो गया है। हालात इतने बदतर हैं कि बुजुर्गों और स्कूली बच्चों का घर से निकलना दूभर हो गया है। बच्चे रोज कीचड़ में गिरते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2-3 साल से प्रधान से लेकर विधायक तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण गीता देवी और अन्य बुजुर्गों ने कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि टंकी का पानी सुबह-शाम सड़क पर बहता रहता है और प्रधान कोई सुध नहीं लेते। गौरतलब है कि गांव के प्रधान कुंदनलाल शर्मा हैं और भाजपा से दूसरी बार विधायक विकास गुप्ता हैं। इसके बावजूद गांव में एक ईंट तक विकास कार्य नहीं हुआ है। सवाल उठता है कि जब प्रधान और विधायक दोनों सत्ता के करीब हैं, तो आखिर विकास का पैसा कहां जा रहा है? ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क और नाली निर्माण की मांग की है।

मैनपुरी के स्कूल में हुई थी बच्चे की मौत, पीड़ित पिता को अखिलेश यादव और सांसद डिंपल ने बंधाया ढांढस

मैनपुरी। सुदिती ग्लोबल एकेडमी के छात्र वंश कश्यप की मृत्यु के मामले में कलक्ट्रेट के तिकोनिया पार्क पर चल रही भूख हड़ताल पर बैठे स्वजन से सपा मुखिया अखिलेश यादव और स्थानीय सांसद डिंपल यादव ने वीडियो कॉल कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। सांसदद्वय ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। मुहल्ला बागवान निवासी केशव कश्यप का 13 वर्षीय वंश कश्यप की करीब नौ माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की छत से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी।इस मामले में केशव कश्यप ने स्कूल के प्रबंध निदेशक लव मोहन सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तब से लेकर अब तक पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को वंश के पिता केशव कश्यप भूख हड़ताल पर बैठ गए। बुधवार रात पूर्व विधायक राजू यादव कलक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क पहुंचे। उन्होंने केशव कश्यप से मामले की जानकारी लेने के बाद सांसद अखिलेश यादव से आडियो और सांसद डिंपल यादव से वीडियो कॉल पर बात कराई। दोनों सांसद ने पीड़ित पिता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक ने बताया कि सपा पीड़ित परिवार के साथ है। मामले में जल्द कार्रवाई न हुई तो पार्टी अग्रिम निर्णय लेगी। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने अधिकारियों से वार्ता करने का भरोसा दिया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, युवजन सभा जिलाध्यक्ष डीपी यादव, मनीष यादव, रामू गुप्ता मौजूद रहे। गुरुवार को तिकोनिया पार्क में भूख हड़ताल के चलते प्रशासन अलर्ट पर रहा। डाक्टरों की टीम ने केशव कश्यप के स्वास्थ्य की जांच भी की। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

सीतापुर मिड-डे मील राशन वितरण में लापरवाही, ठेकेदार पर FIR के निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सरकारी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में लापरवाही के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सीतापुर में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के तहत मिड-डे मील का राशन संबंधित उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) तक नहीं पहुंचाए जाने के मामले में खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी सीतापुर को संबंधित परिवहन ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होगी तय सरकार ने कार्रवाई का दायरा केवल परिवहन ठेकेदार तक सीमित नहीं रखा है। पूरे प्रकरण में पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इससे साफ है कि योगी सरकार सरकारी योजनाओं में किसी भी स्तर की लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय करने में पीछे नहीं हट रही है। प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए नियमित अनुश्रवण और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। योगी सरकार की प्राथमिकता खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर पात्र लाभार्थियों तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। जनता और बच्चों के हक के राशन से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप भ्रष्टाचार, लापरवाही अथवा शासकीय खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता और बच्चों के हक के राशन में गड़बड़ी अत्यंत गंभीर विषय है। खाद्यान्न को निर्धारित स्थान तक समय से पहुंचाना संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिम्मेदारी तय होगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अमेठी में गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी, पुतला फूंकने से पहले पुलिस से हुई झड़प

अमेठी। जिला मुख्यालय गौरीगंज में केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पर जुटे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश गुरुवार को सड़क पर उतर आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ता जामो तिराहे की ओर पुतला दहन के लिए बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसे लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर केंद्र सरकार का रवैया राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। इसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जामो तिराहे की ओर बढ़े। इसी दौरान काफिला में सिविल ड्रेस में शामिल पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई। माहौल गरमाने के बाद धक्का-मुक्की और हाथापाई की स्थिति बन गई। हालांकि गौरीगंज कोतवाल रवि कुमार सिंह, मुंशीगंज प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह व जामो प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने स्थिति पर काबू पाया। विरोध प्रदर्शन में भेटुआ प्रमुख उत्कर्ष शुक्ला, शकील इदरीशी, शुभम सिंह, अवनीश मिश्र सेनानी, सौरभ सिंह, राकेश मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत सैदपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सैदपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत सैदपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, सैदपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत शाहपुर रझेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शाहपुर रझेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत शाहपुर रझेड़ा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, शाहपुर रझेड़ा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बेरखेड़ा विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत बेरखेड़ा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, बेरखेड़ा
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत करमपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करमपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत करमपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, करमपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कलाली विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कलाली विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत कलाली
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, कलाली
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत देहरा चक विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत देहरा चक विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत देहरा चक
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, देहरा चक
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत फौलादपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फौलादपुर विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत फौलादपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, फौलादपुर
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

कार्यालय ग्राम पंचायत जुझेला चक विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

पत्रांकः मीमो/ग्रा0पं0सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2026 दिनांकः 10.09.2026

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मो, पंजीकृत विक्रेताओ को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जुझेला चक विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुसार छठा राज्य वित्त, 16 वां वित्त मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) ओ0डी0एफ0 प्लस, आर0जी0एस0ए0, पंचायत पुरस्कार से प्राप्त धनराशि, बहुउद्देशीय पंचायत घर योजना अन्य मद से निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य मदो के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहर बन्द सीलबन्द निविदाये/कुटेशन आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता दिनांक 10.09.2026 से 16.09.2026 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बाक्स में सीलबन्द निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते है जोकि दिनांक 16.09.2026 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी जोकि ग्राम पंचायत को समय-समय प्राप्त आवंटित पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रशासक एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी0एस0टी0 पंजीकरण सम्बन्धित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरे पी0डब्लू0डी0 की दरो के अनुरूप पी0डब्लू0डी0 के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नही पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र०सं०	सामग्री का नाम	यूनिट/मात्रा	दर
1	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
2	बालू रेत	घन मी०	
3	बजरफुट	घन मी०	
4	20 एम०एम० बजरी	घन मी०	
5	40 एम०एम० ईट रोड़ी	घन मी०	
6	ईट प्रथम श्रेणी एम०-150	प्रति नग/हजार	
7	ईट बालवार एम-275	प्रति नग/हजार	
8	इंटरलाक टाईल्स 80 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
9	इंटरलाक टाईल्स 60 एम०एम०	प्रति नग/हजार	
10	पंचायत भवन के ऑफिस इक्युपमेंट / पंचायत घर मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
11	पुस्तकालय इक्युपमेंट/मरम्मत	प्रति नग/यूनिट	
12	दीवार टाईल्स	वर्ग मीटर	
13	फर्श टाईल्स	वर्ग मीटर	
14	सरिया	प्रति कुन्तल	
15	लोहे की एंगल/पाईप	प्रति कुन्तल	
16	लोहे का जाल	प्रति कुन्तल	
17	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
18	मिट्टी दूरी सहित	घन मी०	
19	लकड़ी के दरवाजे /कर्मर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग	
20	सोलर लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट नया/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
22	ई-रिक्शा	प्रति नग	
23	सेनेटरी सामग्री	प्रति नग/वर्गमी०	
24	बिजली उपकरण	प्रति नग	
25	लोहे का फेंसिंग तार	प्रति वर्ग मी०	
26	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन	प्रति नग	
27	सी०सी० डेस्क बेंच	प्रति नग	
28	डस्टबीन/सामुदायिक शौचालय मरम्मत	प्रति नग	
29	कूडा गाडी/ठेली एवं सफाई किट	प्रति नग	
30	सोडियम, हाईक्लोराईड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रामक रोधक दवाएं	प्रति किलो/पैकेट	
31	प्राईमर लोहा लकड़ी	प्रति ली०	
32	डिस्टैम्पर वाल पुट्टी, पेंट समोसम आदि	प्रति किलो	
33	पी०वी०सी० पाईप एवं जी०आई० पाईप हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
34	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
35	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	प्रति रनिंग मीटर	
36	प्लाई एवं माईका	प्रति वर्ग फुट	
37	आर०सी०सी० पाईप/ह्यूमपाईप	प्रति रनिंग मीटर	
38	वाटर कूलर आर०ओ० सहित	प्रति नग	
39	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति फुट	
40	इन्सीनेटर	प्रति नग	
41	प्लम्बिंग सामग्री	प्रति नग	
42	ओपन जिम खेल मैदान उपकरण/बारात घर निर्माण मरम्मत	प्रति नग	
43	इलेक्ट्रिशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
44	लोहे का गेट व खिड़की	प्रति नग	

नोट-01-यदि किसी फर्म/सप्लायर आपूर्तिकर्ता के लिये कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो सम्बन्धित को उसकी भी कार्यवाही के मानको को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।
02- समान दरे होने पर ग्राम पंचायत एक से अधिक फर्मो को सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत कर सकती है।

ग्राम प्रशासक, ग्राम पंचायत जुझेला चक
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

सचिव, जुझेला चक
विकासखंड धनौरा जनपद अमरोहा

मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूं

'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग के दौरान ओरी और गौरव खन्ना ने साउथ अफ्रीका में करीब एक महीना साथ बिताया। दोनों ने एक ही वैनिटी भी शेयर की और घंटों बातचीत की। यही वजह है कि गौरव और आकांक्षा चमोला के विवाद में ओरी खुलकर गौरव के बचाव में उतरे। अब उन्होंने बताया है कि आकांक्षा की कौन सी बात उन्हें इतनी खली कि वह सोशल मीडिया पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए।

मुझे लगा गौरव के नाम का इस्तेमाल हो रहा है मैंने गौरव के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा था। मैं अपने दोस्तों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूं। अगर कोई मेरा दोस्त है और मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे लगा कि गौरव का नाम इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाया जा रहा है और शो को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

फिर खुद को सेल्फ मेड कैसे कह सकती हैं

आप किसी शो पर जाते हो, अपने पति को अंडर द बस फेंक देते हो और फिर खुद को सेल्फ मेड कहते हो। मुझे यह बात समझ नहीं आई। अगर आप करीब 10 साल से किसी इंसान के साथ पति-पत्नी के रिश्ते में रहे हो, तो फिर नेशनल टेलीविजन पर उसके बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? और उसके बाद खुद को सेल्फ मेड वुमन कैसे कह सकते हो? गौरव का काम और उसका फेम भी आपकी जिंदगी में मददगार रहा है। तो फिर आप यह कैसे कह सकते हो कि सब कुछ सिर्फ आपका अपना है? मैं किसी की मेहनत कम नहीं कर रहा, लेकिन इतने साल साथ रहने के बाद एक-दूसरे की जिंदगी पर असर तो पड़ता ही है।'

मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूं

मैं गौरव को जानता हूं। हमने करीब एक महीने तक एक ही वैनिटी शेयर की है। हम घंटों बात करते थे। इसलिए मैं उसके बारे में सिर्फ सोशल मीडिया देखकर बात नहीं कर रहा हूं। मैंने उसके साथ वक्त बिताया है और जानता हूं कि वह कैसा इंसान है। मेरे लिए गौरव एक अच्छा इंसान है। इसलिए जब मुझे लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो मैंने अपनी बात रखी। मैं दोस्ती को लेकर बहुत सीधा हूं। अगर मैं किसी का दोस्त हूं, तो उसके दुश्मन का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूं।

एक अच्छे इंसान को अंडर द बस फेंक दिया

बाद में जब मुझे पूरा मामला समझ आया, तो मुझे लगा कि यह बहुत गलत है। मुझे लगा कि एक अच्छे इंसान का नाम खराब किया जा रहा है और उसके नाम का इस्तेमाल शो को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ऐसा नहीं है कि उनके जरिए कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गईं। लेकिन मुझे लगा कि उनके नाम से फायदा लिया गया और फिर उसी इंसान को अंडर द बस फेंक दिया गया। मेरी परेशानी यही है। अपनी कहानी बताओ, अपनी जिंदगी के बारे में बात करो, लेकिन किसी ऐसे इंसान का नाम लेकर उसे नीचे मत गिराओ जिसे मैं खुद जानता हूं और जिसे मैं अच्छा इंसान मानता हूं।

गौरव-आकांक्षा विवाद में क्या हुआ?

दरअसल, गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं। 'लॉक अप 2' में आकांक्षा ने पहली बार खुलकर बताया था कि दोनों करीब एक साल से अलग रह रहे हैं..तलाक लेने वाले हैं। इसके बाद गौरव ने भी इस बारे में बात की और कहा कि उनके मन में आकांक्षा के लिए प्यार और सम्मान आज भी है। हालांकि, शो में गौरव को लेकर आकांक्षा की कुछ बातों पर विवाद हुआ। खासकर उनके उस बयान की काफी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह गौरव की जगह अपने माता-पिता या अपने पालतू कुत्ते को शो में देखना पसंद करतीं।

फिल्म 'दायरा' नहीं करना चाहते थे पृथ्वीराज सुकुमारन

फिल्म 'दायरा' इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर अहम किरदारों में है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मीडिया से बात करते हुए पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि शुरुआत में वह यह फिल्म रिजेक्ट करने वाले थे।

क्यों फिल्म ठुकराना चाहते थे एक्टर?

पृथ्वीराज सुकुमारन ने फिल्म 'दायरा' के बारे में बात करते हुए कहा, 'दायरा के लिए मुझे मीटिंग का बुलावा ऐसे समय आया जब मैंने एसएस राजामौली के साथ साउथ सिनेमा की एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए हां कर दिया था। मुझे पता था कि आने वाले महीनों में मेरे पास मलयालम फिल्मों और उस समय शूट हो रही 'वाराणसी' के अलावा कुछ और करने का समय नहीं होगा। लेकिन जब मेघना गुलजार ने मीटिंग के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि इस देश का कोई भी अभिनेता उनसे जरूर मिलना चाहेगा।'

फिल्म के लिए कैसे राजी हुए पृथ्वीराज

अपनी बातचीत में पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि मेघना गुलजार को मना करने का मन बनाने के बाद भी उन्होंने कैसे और क्यों अंत में फिल्म को लेकर हां कह दिया। एक्टर ने बताया, 'मैंने मेघना से कहा कि मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी और मैं खुद को इस बात के लिए तैयार कर रह था। सोचा की बहुत विनम्रता से उनकी बात सुनूंगा और फिर अपनी बात कहूंगा। उनसे बोलूंगा कि माफ कीजिए, यह संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है।' पृथ्वीराज ने आगे बताया, 'हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाई। फिर मैंने सोचा मैं मना नहीं कर सकता। मैंने पूछा कि अजूनी का किरदार कौन निभा रहा है? फिर मेघना ने कहा कि वह करीना को लेना चाहती हैं और अंत में मैंने फिल्म के लिए हां कह दिया।'

ब्रेकअप की अफवाहों पर बोलीं जैस्मिन भसीन

अभिनेत्री जैस्मिन भसीन और अली गोनी लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी काफी पसंद की जाती है। इस बीच अचानक इनके ब्रेकअप के कयास लगने लगे। दरअसल, जैस्मिन के एक 'आई एम इनफ' टैटू वाली पोस्ट के बाद ऐसी अफवाहों ने जोर पकड़ा। ब्रेकअप की खबरों पर अब जैस्मिन ने रिएक्शन दिया है।

अभिनेत्री जैस्मिन ने ब्रेकअप की रूमर्स पर लोगों को आड़े हाथों लिया है। साथ ही जिस पोस्ट की वजह से ऐसी खबरों ने जोर पकड़ा, उस पर भी सफाई दी है। जैस्मिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है, 'मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, वह हर चीज मेरे रिलेशनशिप को लेकर कोई क्रिप्टिक मैसेज नहीं होता है। कई बार एक महिला सिर्फ यूं ही अपने बारे में बात कर रही होती है'। जैस्मिन ने आगे कहा, 'हैरानी की बात है कि कई बार चीजों को कैसे घुमा-फिरा दिया जाता है और कपल की तस्वीरों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, ताकि ज्यादा लोग उन्हें देखें। चिल करो गाइज'।

कैसे शुरू हुई चर्चा?

जैस्मिन ने हाल ही में अपना पहला टैटू बनवाने के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसी से अफवाहों ने जोर पकड़ा। इस टैटू पर लिखा था, 'आई एम इनफ' (मैं अपने आप में काफी हूं)। इस पोस्ट को अभिनेत्री ने बाद में डिलीट कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौर के बारे में बात की, जब उन्होंने प्यार और अपनाए जाने का एहसास पाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश की थी। जब अली के साथ ब्रेकअप की रूमर्स फैलने लगीं तो जैस्मिन ने एक और पोस्ट शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है।

बता दें कि जैस्मिन और अली की पहली मुलाकात साल 2018 में रोहित शेट्टी के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 9' की शूटिंग के दौरान हुई थी। अर्जेंटीना में साथ रहने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उनकी दोस्ती गहरी हो गई। उनका रिश्ता 2020 में तब सबके सामने आया जब अली 'बिग बॉस 14' के घर में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आए, जबकि जैस्मिन पहले से ही शो का हिस्सा थीं। शो में रहने के दौरान अली ने जैस्मिन के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात की। तभी से दोनों साथ हैं।

संदीपा धर ने शुरू की असुर 3 की शूटिंग

वेब सीरीज 'असुर सीजन 3' की से जुड़ी एक खास जानकारी सामने आई है। हाल ही में एक्ट्रेस संदीपा धर ने फैंस के साथ इस खबर को फोटोज के जरिए शेयर किया। 'असुर' फ्रेंचाइजी के इस तीसरे सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। एक्ट्रेस संदीपा धर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं। इनमें वह वेबसीरीज में दिखीं। इनसे फैंस को 'असुर सीजन 3' के बारे में जानकारी मिली। संदीप धर की शेयर की गई तस्वीरों के साथ कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, 'यह जबरदस्त होने वाला है, 'नई शुरुआत' और 'तूफान से पहले की शांति।' इससे यह अंदाता लगाया जा सकता है कि यह सीजन दमदार होने वाला है। हालांकि सीरीज में संदीपा कौन सी भूमिका निभाएंगी इस पर से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है।

'राइज एंड फॉल 2' में शिरकत करने की तैयारी में गोविंदा

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप- सच या सजा' के जरिए अपना रियलिटी शो डेब्यू किया। बीते दिनों इस शो से उन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी। अब उनके बाद गोविंदा भी रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे चर्चित रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में शिरकत कर सकते हैं।

गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर किसी अन्य हीरोइन के साथ अफेयर होने जैसे आरोप लगाए हैं। शादीशुदा जिंदगी में चल रहे उतार-चढ़ावों के बीच गोविंदा को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है कि वे रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट डेब्यू करने वाले हैं। गोविंदा से इस शो के लिए संपर्क किया गया है। वे इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं।

शो में हिस्सा लेने के लिए बातचीत जारी

गोविंदा से 'राइज एंड फॉल 2' रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए बातचीत चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एम एक्स प्लेयर के इस शो के लिए बातचीत अंतिम दौर में हैं। अगर बात पक्की हो जाती है और गोविंदा राजी हो जाते हैं तो यह बतौर प्रतिभागी उनका पहला रियलिटी-टीवी शो होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फॉर्मेट का दूसरा सीजन मशहूर हस्तियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन टीम कंफर्म करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल से जुड़ी जानकारी को अंतिम रूप दे रही है। गोविंदा का इसमें शामिल होना लगभग तय है, लेकिन अभी तक इसे लेकर किसी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।

बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा काफी वक्त से निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। इसके चलते सुनीता ने तलाक की अर्जी भी दाखिल की थी। मगर, बीते दिनों उन्होंने तलाक की याचिका वापस ले ली। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें राखी सावंत और सुनीता फोन पर बात करती दिखीं। सुनीता ने राखी से बात करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि गोविंदा दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तलाक की याचिका वापस ली।

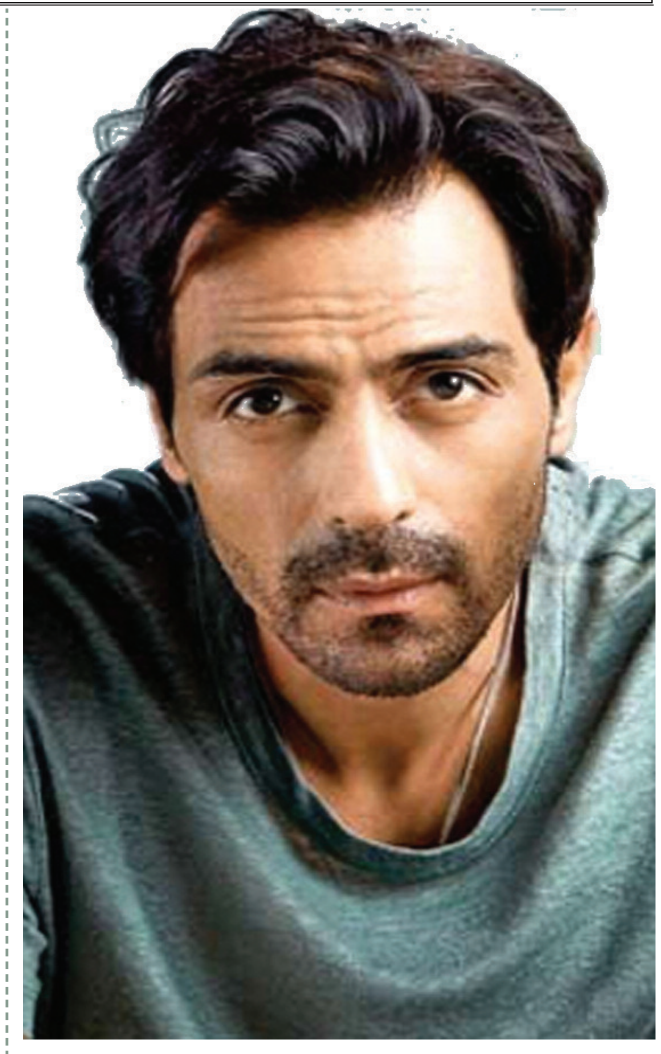

अर्जुन रामपाल ने 'ओ साथी रे' को लेकर दी अपडेट

हाल ही में अर्जुन रामपाल ने इम्तियाज अली और अदिति राव हैदरी से मुलाकात की और उनके साथ अच्छा समय बिताया। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं और अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। उन्होंने अपनी अपकमिंग सीरीज 'ओ साथी रे' की शूटिंग की जानकारी दी।

अर्जुन रामपाल ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वह निर्देशक इम्तियाज अली और अदिति राव हैदरी के साथ पोज दे रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'कुछ बहुत ही खास लोगों के साथ एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट पूरा किया। आप लोगों की याद आएगी। आखिरकार अपने कॉलेज के दोस्त इम्तियाज अली के निर्देशन में काम करना बहुत अच्छा लगा। ओ साथी रे।'

अदिति राव हैदरी ने किया कमेंट

इस पोस्ट पर अदिति राव हैदरी ने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, 'अर्जुन, इतनी आसानी से कमाल का इंसान होने के लिए शुक्रिया। हमेशा आपकी तारीफ करती हूं। आपके नए सफर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं।' इसके जवाब में अर्जुन ने कमेंट में लिखा 'अदिति राव हैदरी तुम कमाल की हो और वह लंच शानदार था।'

फिल्म को लेकर बोले इम्तियाज अली

हाल ही में इस फिल्म की कहानी पर इम्तियाज अली ने कहा ''ओ साथी रे' ने मुझे इसके डेवलपमेंट के हर मोड़ पर हैरान किया। यह पुराने जमाने के दिल वाली एक मॉडर्न कहानी है। यह मेट्रोपॉलिटन जिंदगी की भागदौड़ के बीच एक जादुई परी-कथा जैसी है। मुझे राहत और उत्साह दोनों महसूस हो रहा है कि आरिफ, अविनाश, अदिति और अर्जुन की शानदार कास्ट को निर्देशित कर रहा हूं। नेटफ्लिक्स के साथ मजबूत होते रिश्ते की वजह से ही हम 'ओ साथी रे' की आकर्षक दुनिया में कदम रख पाए।'

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अनुज कुमार के द्वारा एजीएस पब्लिकेशंस एफ 23, सेक्टर 6, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 से मुद्रित व गांव बुखारीपुर, पोस्ट ढवारसी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश पिन कोड 244242 से प्रकाशित।
संपादक-अनुज कुमार, R.N.I. No.-UPHIN/2023/86483, मो0.945688 4327, E-mail-officialsabkasapna@gmail.com, www.sabkasapna.com नोट- समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र अमरोहा जनपद न्यायालय होगा।